168

अध्याय - दो.

प्रारम्भिक:- हि०प्र० नगर विकास प्राधिकरण का वर्ष 1999-2000 व 2000 से 15.1.2001 तक की अवधि का अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा) के नेतृत्व में सर्व श्री धर्मपाल सिंह, सुरेश गुप्ता व शेर सिंह अनुभाग अधिकारियों व अन्य अंकेक्षण दल द्वारा अवधि 11.9.01 से 25.11.01 व 29.12.01 से 11.1.2002 तक किया गया। माह 9/99, 3/2000, 6/2000 व 12/2000 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। समस्त अभिलेख, अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्णित पैरों के अतिरिक्त अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया। यद्यपि प्राधिकरण का हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड में 16.1.01 से विलय हो गया था तथापि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना के आधार पर अंकेक्षण कार्य यथा समय सम्पन्न किया गया।

2. **अंकेक्षण शुल्क :-** उक्त अवधि हेतु अंकेक्षण शुल्क रु० 1,94,400/=रु० आंका गया। उक्त राशि परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को भेजी जानी सुनिश्चित करें।

3.

वाउचर सं०	दिनांक	राशि
51	8.9.99	3500000.00
52	[illegible].3.00	476877.00

उपरोक्त वाउचर द्वारा माननीय जिला सेशन जज शिमला को रु० 3976877.00 रु० का भुगतान श्रीमति पुष्पा बनाम सरकार, श्री कृष्ण बनाम सरकार श्रीमति शान्ति बनाम सरकार व श्री अनोखी राम बनाम सरकार के प्रकरणों में किए गए निर्णयों के फलस्वरूप बढ़ाए हुए मूल्य व ब्याज के रूप में अधिक भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि खाता वही के पृष्ठ 569 पर उक्त वर्णित प्रकरणों में वर्ष 99-2000 में कुल 1198428/- राशि व्यक्ति कि किया गया था परन्तु प्रत्येक प्रकरण में कितनी-2- राशि व्ययित

...2...

5.9.99 3500000.00

को ब्याज व बढ़ोत्तरी के रूप में की गई थी तथा कुल कितनी जमीन प्राधिकरण द्वारा ली गई थी से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था तथा न ही आवश्यक गणना वाउचर के साथ व्यक्तिवार संलग्न की गई थी जिससे किए गए भुगतान की उचित प्रकार से जाँच नहीं की जा सकी। आवश्यक भुगतान रजिस्टर तैयार करके जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए

मु0 403042.00 रु0 की राशि आयकर के रूप में कटौती न करने बारे :-

आयकर अधिनियम की धारा 194-ए में यह प्रावधान है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 5000.00 रु0 से अधिक ब्याज का भुगतान यदि किया जाता है तो स्रोत पर कटौती के रूप में 10 प्रतिशत भाग व 2 प्रतिशत सरचार्ज की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु प्राधिकरण द्वारा ब्याज के रूप में भुगतान करते समय आवश्यक आयकर की कटौती नहीं की गई थी । वाउचर सं0 51,85,84,52 क्रमश: दिनांक 8.9.99, 10.8.99, 9.11.99 व 6.3.00 द्वारा न्यायालय के निर्णय अनुसार जमीन के मुआवजा के रूप में निम्न विवरणानुसार 1,15,62438.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को किया गया । किए गए भुगतान में दिनांक 26.8.93 से 31.8.99 तक ब्याज के रूप में 32,42,170.00 रु0 की राशि का भुगतान भी सम्मिलित था। प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित भुगतान से आयकर कटौती हेतु 10 प्रतिशत व सरचार्ज 2 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई। जिसकी गणना 403042.00 रु0 बनती है। मु0 403042.00 रु0 की कटौती स्रोत पर न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करके ही प्रतिपूर्ति की जाए ।

वाउचर सं0/दिनांक	कुल किया गया भुगतान	प्राप्तकर्ता का नाम.	ब्याज राशि	देय आयकर की राशि सरचार्ज सहित।

54, 8.9.99	3500000.00	श्रीमती प्रेमा व अन्य श्री कुन्दन व अन्य व श्रीमती कमला व अन्य की चोरी मामले में उपायुक्त शिमला द्वारा मुआवजा	3664022/= 366402/=
85, 10.8.99	1284530.00		
84, 9.11.99	6777908.00		36640.00
52, 6.3.00	421843.00	श्री अतीतीराम व अन्य द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश	
	11984281.00	योग:	403042.00

भविष्य में नियमानुसार आयकर कटौतियाँ की जानी सुनिश्चित करें ।

5.

वाउचर सं०	दिनांक	राशि रु० में
49	8.9.99	142547.00
154	29.9.99	148390.00
198	15.3.00	142416.00
105	14.6.2000	150773.00
29	18.12.2000	144752.00

(क) उपरोक्त वाउचरों द्वारा कमीशनर इम्पलाईज प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाईजेशन शिमला-9 को कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से प्रतिमाह की गई 12 प्रतिशत की कटौती की राशि व 12 प्रतिशत नियोक्ता का हिस्सा व अन्य बैंक चालानों द्वारा प्रेषित किया गया सम्बन्धित चालानों के साथ नियोक्ता द्वारा जमा करवाए गए भाग की गणना कर्मचारी वार संलग्न नहीं की गई थी तथा न ही इस बारे कोई रजिस्टर जिसमें की गई कटौती तथा नियोक्ता के भाग का विवरण हो, तैयार किया गया था जिस कारण जमा करवाई गई राशि की सही जाँच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण का सुझाव है कि समस्त कर्मचारियों से की गई कटौती

...4.

1007/1 27.6.00 ... ओरटोकैलिशयम 105.60 ... 45.00

नियोक्ता का हिस्सा से सम्बन्धित सूचना प्रतिमाहवार/वर्षवार एक रजिस्टर में तैयार की जाए ताकि समस्त सूचना एक रजिस्टर में तैयार हो सकें तथा तदोपरान्त समय समय पर आवश्यक जांच की जा सकें ।

[ख] कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेन्शन [?] निधि के पैरा 32[ख] के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में यदि समय पर अंशदान जमा नहीं करवाया जाता है तो दो माह तक की देरी हेतु 17 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की आपत्ति उठाए जाने पर भी उक्त संस्था को देय राशि काफी विलम्ब से जमा करवाई जा रही है तथा भविष्य में उक्त संस्था द्वारा जुर्माना लगाए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अंकेक्षण अवधि में देरी से जमा करवाई गई राशियों का विवरण तथा उन पर सम्भावित जुर्माना का विवरण निम्न प्रकार से है। अतः 17 प्रतिशत की दर से लागू जुर्माना को ध्यान में रखते हुए देरी से जमा राशियों पर 32579.00 रु0 की सम्भावित देय राशि का भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेवारी निर्धारित करके वसूली की जाए व भविष्य में समस्त देय राशि उक्त संस्थाओं को समय समय पर जमा करवाई जाए ।

वेतन से की गई कटौती माह	जमा करवाई गई राशि का दिनांक	जमा करवाने की अन्तिम तिथि	देरी दिनों में।	जमा करवाई गई राशि।	सम्भावित जुर्माना की राशि।
7/99	8.9.99	15.8.99	24	142547.00	1593.00
8/99	29.9.99	15.9.99	14	148390.00	968.00
11/99	18.12.00	15.12.00	3	144752.00	202.00
6/99	17.8.99	15.7.99	33	128335.00	1972.00
9/99	21.10.99	15.10.99	6	145927.00	408.00
12/98	27.5.99	15.01.99	132	128703.00	7913.00

133/4

EM 314 35.80
ओस्टोकेल्शियम 105.60
45.00

27.5.99	15.2.99	101	123594.00	5813.00
27.5.99	15.3.99	73	115569.00	3929.00
8.7.99	15.4.99	84	128304.00	5020.00
8.7.99	15.5.99	54	133438.00	3356.00
8.7.99	15.6.99	23	131140.00	1405.00
				32579.00

6. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स के पत्र सं0 एफ.न. 123/97/96-टी.पी.एल. दिनांक 3.8.95 के अनुसार विज्ञापनों पर हुए व्यय का भुगतान करते समय कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से आयकर काटा जाना अपेक्षित था। परन्तु प्राधिकरण द्वारा किए गए भुगतानों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विज्ञापन पर हुए व्यय के रूप में भुगतान की गई परन्तु इन राशियों का भुगतान करते समय 1% की निर्धारित दर से आयकर नहीं काटा गया था। इस सन्दर्भ में यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड आदि नि...रित किया जाता है तो उनकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करके करवायी जाए।

वाउचर सं0	दिनांक	राशि	विज्ञापन की तिथि।	अखबार का नाम	पार्टी जिसे भुगतान किया गया।
143	27.9.99	19697.00	9.9.99	द ट्रिब्यून	मै0 ओम एडवरटाईज मेन्ट सन्जौली
109	13.10.99	19394.00	9.9.99	दिव्या हिमाचल।	यथोपरि
53	12.6.2000	1218.00	--	वीर आनन्द	मै0वीरआनंद
55	12.6.2000	1000.00	15.4.2000	हिमाचल टाईम्स	मै0हिमाचल टाईम्स.

12/7/15

122/2 20.9.99	श्री मदन मोहन शर्मा, पी.ए.	चवनप्राश	85.00 42.00	रोगी पर्ची अनुसार केवल 250ग्राम की मात्रा ही क्रय खरीदी जानी अपेक्षित थी।
122/5 15.9.99	श्री ओमप्रकाश व0सहायक।	वेनुस्मिन फोर्टे	263.70	देय नहीं
122/8 15.9.99	श्रीमति निर्मला व0 सहायक।	रियुमरील तेल	57.00	देय नहीं
122/9 15.9.99	श्री रमेश कुमार ड्राईवर	कन्सलटैंटफीस यू.जी.आई.	10.00	देय नहीं
		बेरीयम टैस्ट	345.00	कु0 690.00 रु0 में से 345.00 ही देय थे।
		विजिटिंग फीस	30.00	-देय नही है।
		सर्जिकल प्रोसिजर यू.जी.आई. एंडोस्कोपी	925.00	- 1500.00 रु0 मे से केवल 575/=रु0 ही देय थे।
146/2 27.9.99	श्री लोकेन्द्र, पटवारी	केप0स्टैप लिमसी	30.50 17.25	देय नहीं आयुर्वेदिक है
146/5 27.9.99	श्री सतीश चन्द नेगी, ड्राफ्टसमैन	आर. टी. क्योर सिरप कल्प	=43.71 42.00	चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई।
156/4 29.9.99	श्री रमेश कुमार ड्राईवर	विटामिन-ए	41.30	देय नहीं है।
13/2 1.3.00	श्री जे.पी.शर्मा. उप नियन्त्रक.	मटरानदि	80.00	देय नहीं
13/3 1.3.00	श्री सुभाष चन्द प्लांटिंग आफिसर	फ्लूटीम कीट कैंडिड बी क्रीम सैप्टीलीन क0ठपीयूष	28.00 27.36 57.00 15.00	देय नहीं
119/8 16.3.00	-"-	सैप्टीलीन	57.00	-"-
133/4 27.6.00	-"-	हेम अप ओस्टोकैल्सियम नु कोल	35.80 105.60 45.00	

113/2 17.6.2000	श्री के0पी0 शर्मा, उप नियन्त्रक	कैप कोवाडेक्स	36.00	
18/3 16.12.00	-"-	सोमाकारासहत विकाहावस	55.00 27.45	देय नहीं
119/4 16.3.2000	श्री डी.आर.नेगी अनुभाग अधिकारी	अकेरोवस	47.00	आयुर्वेद मे देय नही
121/2 16.3.2000	श्री ए.डी.ग्रोवर सर्कल हैडड्राफ्टसमैन	एवनोफिन क्रीम	90.00	
		यू.वी.एवोस क्रीम	198.00	
		एण्ड्री यू	17.00	
121/2 16.3.2000	श्री विमल कुमार जे.डी.एम.	एलोकोन क्रीम	76.60	देय नहीं
		यू.वी.डेय लोशन	174.00	
		केलाड्रिल	39.20	
		लीव-52	46.00	एलोपेथी मे देय नहीं
122/6 16.3.2000	श्री अशोक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता	सेप्टीलीन	45.00	देय नही
		-"-	45.00	
		कैप.ला	94.50	
122/8 16.3.2000	श्री बलवीर चौहान, प्र. सहायक	कैप ला	94.50	देय नही
		टोप कोर्ट लोशन	99.50	
123/3 16.3.2000	श्री विरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ डाफ्टसमैन	सैंटीलोनटैब	57.00	
1[illegible]/[illegible] [illegible].3.2000	श्री राजेन्द्र पाल अधीक्षक	क्रक्स	27.00	चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई।
		वी टोन	70.00	
		कै स्माजीन	78.00	
		धात्री रसायन	110.00	
		मैटेट	29.00	
		वी टोन	24.00	
		कैप स्माजीन	78.00	
		मैटेट	29.00	
		धात्री रसायन	85.00	
		वी टोन	48.00	
		धात्री रसायन	85.00	
		मैटे	29.00	
		आईटोन	24.00	

135

	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान,	सेप्टीलीन	41.50	
144/4 23.3.2000	श्री आर.आर. चौहान ड्राफ्ट्समैन.	फिक्स गर्भ तेल	39.00	
144/6 23.3.2000	श्री ओ.पी. चौहान	च्यमाल्या	60.00	
144/7 23.3.2000				
202/1 31.3.2000	श्री देवी चन्द, व. सहायक	एसनलेक साबुन	22.70	
26/2 5.6.2000	श्री अमीर सिंह ड्राफ्ट्स मैन	डैरी फिआन	1?5.00	
26/3 5.6.2000	श्री मेहर सिंह गुलेरिया	चिकाबूल	74.40	
29/1 6.6.2000	श्री राजेन्द्र पाल, अधीक्षक	मैन्टेट धात्री रसायन	29.00 45.00	
29/4 6.6.2000	श्री प्रेम लाल सर्वेयर	सिरप फेरीटोन टानिक	41.00	
29/6 6.6.2000	श्री सतीश चन्द्र नेगी ड्राफ्ट्समैन.	कोवोहैक्स	12.00	
29/7 6.6.2000	श्री सीताराम चौहान मुख्य ड्राफ्ट्समैन	टैस्ट वायपसी -"-	262.00 262.00	निजी प्रयोगशाला से करवाए गए। केवल 300.00 रु0 में से 38.00 रु0 ही देय थे।
30/2 6.6.2000	श्री एम एस. चौहान अधिशाषी अभियन्ता	जफ्सीट लोशन क्लोमेक्सक्रीम	62.70 16.50	
30/3 6.6.2000	श्री अवनी दत्ता सहायक अभियन्ता	फिकोपैक्स	109.00	चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई।
30/4 6.6.2000	श्री एस.सी. धर सहायक अभियन्ता	केप्सू आला	69.30	
133/3 27.6.2000	श्री बी.बी. कालरा अधिशासी अभियन्ता।	केलाड्रील लो...	39.50	

15

	श्री मदन मोहन शर्मा पी.ए.	पाईल्स मैन आयल	55.00
134/1 27.6.2000	श्री देवी चन्द शर्मा, वरिष्ठ सहायक	कोबोडिक्स	18.00
		राकसी	11.35
134/2 27.6.2000	श्री सुभाष चन्द कौशल सहायक अभियन्ता।	कैप. विटोगिन	212.00
140 28.6.2000	श्री विरेन्द्र कुमार ड्राफ्ट्स मैन ।	लाईसर फोर्ट	177.75
140/1 28.6.2000	श्री प्रेम लाल, सर्वेयर	ओजस	84.00
140/2 28.6.2000			
140/3 28.6.2000	श्री रोशन लाल नेगी, वर्क इन्सपेक्टर	शेक्लोसन	205.00
		सिन्थिल लोशन	30.00
		कैप. आला	416.00
140/5 28.6.2000	श्री रमेश कुमार, ड्राईवर	कन्सलटैंट फीस	40.00
141/1 28.6.2000	श्री आर.सी. गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता	कैप0 ए टू जेड	234.00
		सिवेक्सीन	9.00
141/4 28.6.2000	श्री विधि चन्द कनिष्ठ अभियन्ता Z	स्पिरोवटी	60.50
		सेप्टीलीन	14.40
141, 28.6.2000	श्री अशोक कुमार शर्मा,	फ्लूकोर्ट क्रीम	53.35
		मेलानोसील क्रीम	22.35
138/2 20.12.00	श्री सतीश चन्द नेगी ड्राफ्ट्स मैन	कैंडिड क्रीम	35.70
138/3 20.12.00	श्री ज्ञान चन्द, चपड़ासी	मकरध्वज	238.00 एलोपेथी में देय
		चित्रकुटी	7.50 नहीं है।
		महानारायण तेल	53.00
138/4 20.12.00	श्री तपस बेनर्जी चपड़ासी.	जेरीफिओन	38.50
			8459.57

8. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के बिलों को बिना प्रतिहस्ताक्षरित करवाएं ही भेजी व प्रतिबन्धित कार्य हेतु अनियमित भुगतान :-

मेडीकल एटैंडैन्स रूल सेक्शन 7 डी 14 के

अनुसार चिकित्सक द्वारा मँहगी एवं प्रतिबन्धित दवाईयाँ लिखे जाने पर
सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिल प्रति हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था ।
परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि
चयनित मासों में निम्न वर्णित प्रकरणों में बिलों को सक्षम प्राधिकारी
द्वारा सत्यापित न किए जाने पर भी मँहगी व प्रतिबन्धित दवाईयों
हेतु भुगतान पारित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सा व्यय
बिलों की जाँच की नहीं जा रही थी। आवश्यक जाँच न किए जाने
बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त प्रकरणों में बिलों को सक्षम
प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

इसके अतिरिक्त चयनित मासों में अलावा अन्य
मासों में किए गए इस प्रकार के भुगतानों की गणना अपने स्तर पर करके
उपरोक्त दर्शाई गई कार्यवाही अमल में लाई जाए व भविष्य में इस
प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

वा0सं0 व दिनांक	नाम व पदनाम	दवाई का नाम	अनियमित भुगतान।	टिप्पणी
99/4 14.9.99	श्री एस.पी.मल्होत्रा	मकर ध्वज -"-	260.00 520.00	
114/1 16.9.99	श्री पी.के.शर्मा मुख्य प्रबन्धक	वृहतवातचिंतामणी रस मकरध्वज	1005.00 636.00	
157/3 29.9.99	श्री विरेन्द्र शर्मा ड्राफ्टसमैन	महालक्ष्मी विलास विलासरस द्राक्षासव	99.00 45.00	
13/3 1.3.00	श्री सुभाष चन्द मल्होत्रा प्लानिंग आफिसर	द्राक्षासव चवनप्राश	55.00 60.00	
122/5 व 144/6 16.3.00, 23.3.00	श्री आर.आर. व0सहायक	वृहतवातचिन्तामणी रस -"-	315.00 792.00	
123 16.3.00	श्री विरेन्द्र शर्मा. व0ड्राफ्टसमैन	-"- चवनप्राश	225.00 150.00	

158

144/7 23.3.00	श्री ओ.पी.चौहान वरिष्ठ लिपिक	द्राक्षासव च्यवनप्राश -"-	51.00 85.00 85.00
26/8 5.6.00	श्री आर.आर.चौहान व0 लिपिक	द्राक्षासव वृहत्वात चिन्तामणी रस	57.00 690.00
29/3 6.6.2000	श्री मदन सिंह, चपड़ासी	कुमार कल्याण रस च्यवनप्राश	 550.00 85.00
29/4 6.6.00	श्री प्रेमलाल,सर्वेयर	सूत शेखर रस. च्यवनप्राश//	319.50
134/1 27.6.2000	श्री मदन मोहन शर्मा.	मकरध्वज -"- -"-	150.00 75.00 150.00
140/1 28.6.00	श्री विरेन्द्र कुमार ड्राफ्टसमैन	मुक्तापिष्टी	195.00
141/4 28.6.00	श्री विपिन चन्द क0अभियन्ता	मकरध्वज -"-	212.00 212.00
138/2 20.12.00	श्री सतीश चन्द नेगी ड्राफ्टसमैन.	मकरध्वज	512.00

वाउचर सं0 122 दिनांक 15.9.99 राशि 9067.00 रु0 :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान 9067.00 रु0 का पारित किया गया। उक्त भुगतान में श्री रमेश कुमार ड्राईवर को कु0 6436.00 रु0 का भुगतान भी सम्मिलित था जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि लैब इन्वेस्टीगेशन चार्जिज के रुप में 210.00 रु0 का भुगतान किया गया परन्तु यह किन-2 टेस्टों से सम्बन्धित है, का कोई विवरण दिए ही न दिए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

159

इसी प्रकार हिस्टोपैथोलाजी टेस्ट व पैथोलाजी चार्जिस के रूप में क्रमश: 650.00 रु0 व 175.00 रु0 कुल राशि 825.00 रु0 का भुगतान किया गया परन्तु किए गए टेस्टो का कोई विवरण नहीं किया गया था। बिना टेस्टों का उल्लेख किए ही भुगतान अनियमित रूप से कर दिए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विवरण प्राप्त करके नियमानुसार देय राशि से अधिक भुगतान की वसूली करके जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी अनियमित की जाए।

16. **कु0 2069/=रु0 का यात्रा भत्ता दावा के रूप में अधिक भुगतान :-**

यात्रा भत्ता दावा बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमानुसार देय राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। कु0 2452/=रु0 के अधिक किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से करके जमा करवाई जाए।

वाउचर व दिनांक	कर्मचारी का नाम	अवधि	किया गया भुगतान	देय भुगतान	अधिक भुगतान	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
104/ 15.9.99	श्री राजेश कुमार क0अभियन्ता, दैनिक भोगी।	11.7.99 से 14.7.99	370.00	250/=	120/=	दैनिक भोगी कर्मचारी को दैनिक भत्ता देय नहीं।
105 15.9.99	श्री रमेश कुमार, ड्राईवर	[illegible]6/99 से 26.6.99	216/=	208/-	8/=	दैनिक भत्ता अधिक भुगता[illegible]
163 30.9.99	श्री ताराचन्द चन्देल पटवारी	23.3.99 से 8.4.99	205.00	108/=	97/=	प्रवास प[illegible] सलोगड़ा से प्रतिदि[illegible] सलोगड़ा सोलन वा[illegible] का किराया लिया गया
32 6.3.00	श्री[illegible] राम, अधीक्षक	6.1.2000 से 20.1.2000	1156/=	1080/	76/=	दिनांक 6.1.00 को दैनिक भत्ता देय नहीं तथा बस किराये का अधिक भुगतान।

100

107. 14.3.00	श्री कृष्ण लाल, पटवारी	19.2.00 से 24.2.00	530.00	505/=	25/=	दैनिक भत्ता का अधिक भुगतान।
108 15.3.00	श्री वी.सी.सूद प्रधान, सहायक अभियंता	5.2.00 से 17.2.00 (एस.टी.सी बम्बई तक)	10903/=	10855/=	48/=	कालका से अम्बाला के लिए तीन सीटों का किराया 75/रु0 देय था जब कि 123/=रु0 दिया गया।
18	श्री वी.सी.सूद, स0 अभियन्ता.	10.12.99	251/-	206/=	45/=	दैनिक भत्ता देय नहीं।
110 15.9.99	श्री सुभाष चन्द व0सहायक.	23.7.99 से 25.7.99	596/=	—	596/=	मेडीकल टी.ए. से संबन्धित प्रमाणपत्र संलग्न नहीं तथा वा0 के साथ अन्य कोई भी पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं।
132 21.3.00	श्री सुभाष चन्द व0सहायक.	10.12.99 से 12.12.99 व 8.10.99 से 10.10.99	904	—	904/=	-यथोपरि-
201 31.3.00	श्री राजेन्द्र पाल, अधीक्षक.	6.3.00	300/=	150/-	150/=	मेडीकल ए[illegible] से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं (एपेंडिक्स-7 में वर्णित पैरा-6)

11. स्टेशनरी का दुरुपयोग :-

(क) स्टेशनरी पंजिका के पृ0 45 पर मार्च 3/2000 के दौरान डुप्लीकेटिंग कागज के 108 रिम बिना किसी मांग पत्र/रसीद के खारिज/जारी किए गए दर्शाए गए हैं। डुप्लीकेटिंग मशीन के रजिस्टर की मांग करने पर ऑपरेटर द्वारा सूचित किया गया कि रजिस्टर हाल ही में बनाया गया है तथा इन 108 रिमों की [illegible] इसमें नहीं की गई है।

उचन्त आक्षेप सं० 4 वर्ष 2000-2001 अति० क० 31.100:0..

(1) उक्त वाउचर द्वारा श्री कृष्ण लाल, पटवारी के यात्रा व्यय के रु० 608/= [illegible] का समायोजन किया गया है। जिसकी जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :-

(1) बिल पर मूल वेतन अंकित नहीं किया गया है तथा न ही कर्मचारी यात्रा कार्यक्रम की प्रति ही संलग्न की गई है।

(2) उक्त कर्मचारी दिनांक 21.2.99 को रात्रि 8.00 बजे सिरसा से फतेहपुर के लिए रवाना हुआ तथा प्रातः 5.30 बजे फतेहपुर पहुँचा। इस बिल में दिनांक 21.2.99 के लिए रु० 40/=. [illegible] के दैनिक भत्ते का भुगतान कर दिया गया है जबकि यात्रा व्यय नियमों के अनुसार 6 घण्टे तक की यात्रा में उस दिन के लिए कोई भी दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सकता है यहाँ पर रात्रि 8.00 बजे से 12.00 बजे तक केवल 4 घण्टों के लिए पूरे दैनिक भत्ते का भुगतान कर दिया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(3) रुपये 5,223.00 [illegible] के एल.टी.सी. बिल का भुगतान श्री [illegible] कुमार प्रधान सहायक अभियन्ता (सी.) को उनकी (परिवार सहित) [illegible] की कन्याकुमारी की यात्रा के लिए किया गया है। उनके द्वारा दिल्ली से कन्याकुमारी तक दो टिकटों में यात्रा की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

टिकट नं०	स्थान	किलोमीटर	श्रेणी	किराया
99921592	ह० निजामुद्दीन (दिल्ली) से चैन्नई सैंट्रल	2190	3 वातानु०	6035
09391782	चैन्नई सैंट्रल से कन्याकुमारी	849	2 वातानु०	3014
		3039		

लेकिन वापसी में उन्होंने तीन टिकटों से निम्न प्रकार से यात्रा की गई है।

टिकट नं०	स्थान	कि०मी०	श्रेणी	किराया
--	कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम	--	[illegible]	--
09393790	त्रिवेन्द्रम से दिल्ली	806	2 वातानु०	3800
09393931	[illegible] से दिल्ली	2460	2 वातानु०	7462
		3266		

एल.टी.सी. नियमों के अनुसार मुख्यालय के स्थान से गंतव्य एल.टी.सी. [illegible] के लिए अनुमोदित स्थान [illegible] सीधा एवं सबसे छोटे रास्ते का किराया देने का प्रावधान है [illegible] यहाँ [illegible] में यात्री के लिए [illegible] भुगतान [illegible] गया प्रतीत होता है। जिसकी छानबीन की जाए। [illegible] रु० 11262 (3800+7462) को 3266 कि०मी० से भाग देने पर लगभग 3.45 रु० प्रति कि०मी० [illegible] है जिसे 227 कि०मी० (3266-3039) से गुणा करने पर लगभग 783.00 रु० की वसूली बनती प्रतीत होती है। उक्त [illegible] करके [illegible] [illegible] की गई कार्यवाही से [illegible]

कैशियर का दुरुपयोग :- [illegible] कैशियर रजिस्टर के पृ०45 पर माह 3/2000 के दौरान [illegible] के 100 [illegible] लिया दिखाया गया है [illegible] के जारी/वापसी [illegible] पर [illegible] रजिस्टर की मांग करने पर [illegible] द्वारा सूचित किया गया कि रजिस्टर पास हो गया [illegible] 100 किटों का [illegible] [illegible] नहीं की गई है। ....

...

अतः बिना किसी आधार के इन 108 रिमों को जारी करने तथा उपयोग करने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इन 108 रिमों की कीमत मु0 63.80 रु0 प्रति रिम की दर से जो कि मु0 6890/-रु0 बनती है, के उपयोग का पूर्ण औचित्य दिया जाए।

(ज) स्टेशनरी पंजिका के पृ0 68 पर 25 मापन पुस्तिकाएं 3/2000 को जारी की गई दर्शाई गई है। परन्तु यह मापन पुस्तिकाएं किसे जारी की गई के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। अतः इस जारी सामान की सत्यता प्रमाणित की जाए।

(झ) वर्ष 1999-2000 के दौरान मै0 हरी दास एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी शिमला से निम्न दर्शाए गए बिलों द्वारा हि0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए स्टेशनरी क्रय की गई। सामग्री की प्राप्ति की प्रविष्टियां स्टेशनरी रजिस्टर में की गई थी। अतः निम्न 34905/-रु0 की क्रय स्टेशनरी हेतु की गई अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की सीधी खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

क्रम सं0	बिल सं0	दिनांक	राशि
1.	33552	7.7.99	1728.00
2.	36075	22.10.99	1544.00
3.	36100	26.10.99	4050.00
4.	36185	29.10.99	171.72
5.	36199	30.10.99	429.80
6.	36940	17.12.99	244.08
7.	37179	1.1.2000	~~1242/88~~ 540.00
8.	40128	10.1.2000	12 0.68
9.	40129	10.1.2000	980.00
10.	40131	11.1.2000	1728.00
11.	40132	11.1.2000	864.00

12.	40134	15. 1. 2000	470. 88
13.	40136	18. 1. 2000	1296. 00
14.	40139	1. 2. 2000	1397. 00
15.	40141	1. 2. 2000	1296. 00
16.	40144	7. 2. 2000	980. 00
17.	34552	26. 7. 99	453. 60
18.	34563	27. 7. 99	372. 60
19.	34575	29. 7. 99	374. 40
20.	34579	31. 7. 99	259. 20
21.	34589	15. 8. 99	1690. 00
22.	35529	15. 9. 99	11442. 60
23.	38307	7. 3. 2000	1382. 40
			34904. 96

अर्थात कुल 34905/-रु० .

(ख) निक्षेप रजिस्टर में दिनांक 28.8.2000 को श्री हेम राज द्वारा टिकटों का प्रभार श्रीमति पूजा को सौंपा गया था। टिकटों का प्रभार श्रीमति पूजा को सौंपते समय निक्षेप रजिस्टर में दी गई टिप्पणी के अनुसार कुल 246.00 रु० की टिकटें कम पाई गई थी। अतः स्टाक में कम पाई गई टिकटों के कुल 246.00 रु० की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

12. **प्राधिकरण के अन्तिम खातों में पाए गए गलत समायोजन के प्रकरण :-**

निम्नलिखित गलत समायोजन के मामले अंकेक्षण के दौरान प्रकाश में आए जिनमें वांछित सुधार की आवश्यकता है।

(क) खाता वही वर्ष 1999-2000 :-

मास फरवरी 2000 में पृ० सं० 266 में भुगतान वाउचर सं० 115 एवं मास मार्च 2000 पृ० सं० 266 में भुगतान वाउचर सं० 48 के तहत जीप नं० एच.पी.-51-948 पर क्रमशः 4013.00 रु० एवं 1350.00 रु० का व्यय किया गया है। यह प्राधिकरण की जीप नं०

... 17..

... 20...

एच.पी 51-940 में मुरम्मत एवं रख रखाव खाते में पृ0 सं0 676 में क्रेडिट किए जाने की बजाए जीप नं0 एच.पी-51-958 को मुरम्मत एवं रख रखाव खाते में पृ0 सं0 677 में क्रेडिट कर दी गई है।

§क§ रोकड़ वही 1999-2000 माह मार्च,2000 :-

रोकड़ वही की प्रविष्टियों का सम्बन्धित खाता वही से मिलान/अवलोकन करने पर पाया गया कि :-

रोकड़ वही पृ0 सं0 193 में प्राप्ति वाउचर सं0 72 के अनुसार दूसरी स्वत: वित्तीय योजना के तहत विभिन्न अलॉटीज से 4765.00 रु0 की राशि धरातल लगान के रूप में प्राप्त हुई दर्शाई गई है। इस राशि को खाता वही के सम्बन्धित खाते में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है। जबकि इस राशि को "सोशल हाउसिंग स्कीम" खाते में खाता वही पृ0 सं0 299 में क्रेडिट कर दिया गया है।

§ग§ रोकड़ वही पृ0 सं0 203 में प्राप्ति वाउचर सं0 128 में "चौथी पार्टी स्वत: वित्तीय योजना धरातल लगान हाउस"ए" खाते के तहत 1151.00 रु0 की राशि को खाता वही में सम्बन्धित खाते में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है। जबकि इस राशि को खाता वही पृ0 सं0 352 में "धरातल लगान शैडर 7वीं पार्टी स्वत: वित्तीय योजना खाते में क्रेडिट किया गया है।

§घ§ रोकड़ वही पृ0 सं0 211 में प्राप्ति वाउचर सं0 170 के अनुसार "दूसरी पार्टी स्वत: वित्तीय योजना §प्लॉट सी§ के तहत 4230.00 रु0 की राशि को खाता वही-1 के सम्बन्धित खाते में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है। जबकि इस राशि को खाता वही-1 के पृ0 सं0 169 में "तीसरी पार्टी स्वत: वित्तीय योजना/एफ §ए§ खाते में क्रेडिट कर दिया गया है।

§ड.§ प्राप्ति एवं भुगतान वाउचर फाईलें वर्ष 1999-2000 : मद स्थापना व्यय :- वेतन बिलों की कटौतियों से सम्बन्धित :-

जर्नल समायोजन वाउचर संख्या 33 वर्ष 1999-2000 के वेतन बिलों में विभिन्न स्थापना व्ययों की जाँच के दौरान "प्राप्ति एवं भुगतान वाउचरों की फाईलों में §वर्ष 99-2000

निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है :-

[1] गर्म वस्त्र अग्रिम की कटौती के सम्बन्ध में कई मामलों में यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि यह अग्रिम राशि नगर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई है अथवा नैहिंग विभाग द्वारा दी गई है।

[2] गाड़ियों पर किए गए विभिन्न व्यों कार/स्कूटर/मोटर साईकल अग्रिम इत्यादि को शीर्ष वार [Headwise] अलग-2- नहीं दर्शाया गया है। बल्कि सारी राशि को अन्य कटौतियों में रखा गया है।

[3] इसके अतिरिक्त कई अन्य मामलों में कटौतियों को शीर्षवार नहीं दर्शाया गया है।

[घ] खाता वही-I वर्ष 1999-2000 :-

खाता वही के योगो की जाँच करने पर पाया गया कि पृ0 सं0 849 पर 721600.00 रु0 की राशि को डिपोजिट अंडर अदर्म पार्टी स्वत: वित्तीय योजना/डी.बी. खाते में क्रेडिट कर दिया गया है जबकि इस राशि को "अर्नेस्ट मनी अण्डर अदर्म पार्टी स्वत: वित्तीय योजना/के.डी.बी.खाते में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है।

[ङ] खाता वही-II वर्ष 1999-2000 :-

जर्नल बुक से खाता वही में प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि जर्नल बुक पृ0 16 में 242311.00 रु0 की राशि जो कि ओवरिकल्चर पोधारोपण से सम्बन्धित है को खाता वही पृ0 संख्या 277 में जनरल टी एण्ड पी खाते में डेबिट करके स्थिति विवरण में परिसम्पत्तियों में शामिल किया गया है जबकि वास्तव में यह राशि निर्माण कार्य के व्यों से सम्बन्धित है एवं वर्क्स के खाते में ही डेबिट किया जाना अपेक्षित है ।

[च] खाता वही-II, वर्ष 1999-2000 पृष्ठ संख्या: 379 :-

जर्नल बुक से खाता वही में प्रविष्टी करने पर पाया गया कि 75000.00 रुपये की राशि जो कि डब्ल्योरेट फिट ... ई.ई.[सिंचाई] से सम्बन्धित है एवं जिसकी जर्नल बुक पृष्ठ संख्या 14 में प्रविष्ट की गई है को खाता वही में पृष्ठ संख्या 379 डिपोजिट फिट कर किया गया है जबकि इस राशि को ई.ई. [सी.I] में डेबिट

सम्बन्धित खाता वही मे "इम्प्रेस्ट विद ई.ई. [निर्माण] खाते में डेबिट किया जाना अपेक्षित है।

[ख] खाता वही-II 1999-2000 पृ० सं० 594 :-

जर्नल बुक से खाता वही में खतोनी की प्रविष्टि के अवलोकन पर पाया गया कि पृ० 1062074.00 रु० की डेबिट राशि पृ० 18 पर जो कि वर्क्स चार्जेज में C/O SHS at KZC से सम्बन्धित है को खाता वही में C/O R.C Below Spinly Phase-I BCS Phase-I खाते में डेबिट कर दिया गया है।

[ग] खाता वही-II-1999-2000 पृ० सं० 600 :-

जर्नल बुक से खाता वही की खतोनी की जांच करने पर पाया गया कि जर्नल बुक पृ० सं० 18 में 16497.00 रु की डेबिट राशि जो कि वर्क्स चार्जेज में C/O SHS at KZC Phase-II खाते से सम्बन्धित है को खाता वही में C/O R.C. Below Phase-II डेबिट कर दिया गया है।

13. [क] समायोजन वाउचर सं० 60 वर्ष 1999-2000 राशि 3858755.32

उपरोक्त वाउचर द्वारा प्रेफरेन्स राशि को आयगत व्यय मानकर समायोजित किया गया है। लेकिन वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में जो राशि प्रेफरेन्स मनी की खाता वही में लिखी गई है उससे कम राशि का समायोजन किया गया है तथा शेष राशि का समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही सम्बन्धित निम्न वर्णित ~~फ़ाइलें~~ अलॉटी फाईलें ही उपलब्ध करवाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो लेजर में ली गई राशि गलत थी अथवा राशि का समायोजन ही गलत किया गया है।

...20...

एल टी सं0	खाता बही में राशि	समायोजित की गई राशि।	असमायोजित राशि
3393	9600.00	4800	4800.00
4013	2261.30	2261	00.30
4603	12600.00	12000	600.00

उपरोक्त असमायोजित राशियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उचित छानबीन व समायोजन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए।

(ख) समायोजन वाउचर सं0 48 वर्ष 1999-2000 रु0 16000.00 रु0

उपरोक्त वाउचर द्वारा लैजर डी प्रेफरेन्स राशि रु0 16,000.00 रु0 जोकि वित्तीय एस.एफ.एस./के.जेड.डी/एम-II-10033 में डैबिट की थी को रजिस्ट्रेशन तादर्थी पी.एस.एफ.एस.-9301 में स्थानान्तरित हो जाने के कारण वाउचर द्वारा भी उपरोक्त स्कीम में स्थानान्तरित किया गया जिसके बाद परसनल लैजर पृ0 403 पर रु0 14456.00 रु0 क्रैडिट रह गए है। एल टी फाईल उपलब्ध न करवाने तथा वउचर के साथ कोई संलग्न प्रपत्र न होने के कारण सैलटी लैजर के अवलोकन पर पाया गया/है कि कुल रु0 19288.00 (14466+4822) प्रेफरेन्स राशि होनी चाहिए थी। दोनों लैजरों में विरोधाभास के कारण स्पष्ट नहीं किए गए जिसकी जाँच की जाए तथा उपयुक्त समायोजन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) समायोजन वाउचर सं0 31 वर्ष 99-2000 रु0 2304.00

उपरोक्त वाउचर द्वारा टेलिफोन प्रतिभूति (Security) का कुछ हिस्सा जोकि टेलिफोन विभाग के ओ0वाई0टी0 कोटे के कारण प्रतिमाह बिलों में से कम किया जाता है के/कारण का समायोजन डाला गया है जिसमें कुछ राशि को टेलिफोन खर्चे में समायोजित किया जाता है। यह वह राशि होती है जिसको टेलिफो-

विभाग प्रतिमाह के किराए में समायोजित करता है। उक्त वाउचर में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :-

§1§ टेलीफोन सं0 121601 जोकि ओ0वाई0टी0 सामान्य श्रेणी से नहीं है बल्कि एन.वाई.टी.सामान्य श्रेणी से है तथा टेलीफोन विभाग द्वारा जिस से प्रतिभूति की राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, का भी समायोजन वाउचर डाला जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करें अथवा उचित समायोजन किया जाए।

§2§ टेलीफोन सं0 220864 जो कि ओ0वाई0टी0 सामान्य श्रेणि में आता है तथा जिसकी प्रतिभूति की राशि का समायोजन टेलीफोन विभाग द्वारा किया जा रहा है का समायोजन वाउचर प्राधिकरण द्वारा नहीं डाला जा रहा है।

§4§ टेलीफोन सं0 222130 व 221702 के सम्बन्धित रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये ओ0वाई0 टी0श्रेणी से है अथवा अन्यथा व इनकी प्रतिभूति राशि का उपरोक्त अनुसार समायोजन किया जाना था अथवा नहीं§ ।

§5§ (1) वाउचर के साथ संलग्न विवरणी में एक ही टेलीफोन सं0 221702 को दो बार,एक बार 9.7.84 से तथा दूसरी बार 19.12.88 से समायोजित किया जा रहा है। एक ही टेलीफोन की राशि को दो बार किया जाना तथा दो बार समायोजित किए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए ।

§ग§ समायोजन वाउचर सं0 14 वर्ष 99-2000 रु0 24,12,491.00 :§

उपरोक्त वाउचर द्वारा धर्मशाला उप मण्डल के तल पट ट्रायल बैलेन्स को समायोजित किया गया है में रु0 113899.00 रु0 को कि तल पट के अनुसार आर.सी. सिद्धपुर नजदीक धर्मशाला § फ्लेट व प्लॉट §सी§ दाड़ी रेन रोड़ के साथ§ से सम्बन्धित है परन्तु को एक्वीजीशन में डेबिट कर दिया गया है। यह समायोजन गलत है। अतः इसका उचित समायोजन किया जाए ।

165

(घ) वाउचर सं0 27 वर्ष 99-2000 राशि रु0 90569.37 रु0

उपरोक्त वाउचर द्वारा वैन सं0 एच.पी.एस.2673 तथा कार संख्या एच.पी.-03-1632 को "व्हीकल ट्रान्सफर्ड टू एच.पी. गवर्नमैन्ट (जी.ए.डी.) खाते में डैबिट किया गया है। वैन का मूल्य 7970.65 तथा कार का मूल्य 82,598.72 रु0 से क्रैडिट किया गया है जो कि वर्ष 1998-99 में इनका किताबी मूल्य (Book value) है। इन वाहनों के हस्तान्तरण से सम्बन्धित कोई भी आदेश स्वीकृति तथा सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्राप्ति इत्यादि न तो वाउचर के साथ संलग्न थे एवं न ही अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए हैं। जिससे वाहनों का हस्तान्तरण बारे सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आगामी अंकेक्षण में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित रिकार्ड अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

(ङ) रसीद सं0 26820 दिनांक 30.3.2000 में सबसिडि प्राप्ति रजिस्टर में रु0 3586 प्लॉट पी.एस.एफ.एस.-6158 के ग्राउंड रेन्ट के प्राप्त किए गए दर्शाए गए हैं लेकिन इसकी प्रविष्टि किस्तों के [illegible] लेजर में [illegible] कर दी गई है। इस गलती का औचित्य स्पष्ट करें अथवा उचित समायोजन किया जाए।

(च) रसीद सं0 26839 दिनांक 31.3.2000 द्वारा रु0 41895.00 रु0 एन्हान्सड लैण्ड कम्पनसेशन के लिए प्राप्त हुए जो कि 10.9.93 को देय थे लेकिन भुगतान 31.3.2000 को प्राप्त हुआ। देरी से प्राप्ति के लिए जुर्माना ब्याज की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

(छ) रसीद संख्या 26839 दिनांक 31.3.2000 द्वारा रु0 12496 प्राप्त किए गए जिसमें 1992-93 से 1999-2000 तक का ग्राउंड रेन्ट रु0 1562 के हिसाब से प्राप्त किए गए लेकिन लेजर में यह राशि रु0 12496+1047 लिखी गई है। अतः रु0 1047 जो कि प्राप्त ही नहीं हुए हैं उन्हें सम्बन्धित लेजर में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट करें।

......

170

(घ) रसीद संख्या 2674। दिनांक 27.3.2000 द्वारा स्लाटी से कुमारी एस.एफ.एस./II-I(बी)-4249 से रु0 4165 प्राप्त किए गए जो कि 1992-93 से 1998-99 तक के लिए बढ़ाए गए ग्राउंड रेंट की बकाया राशि 7210/-रु0 का कुछ हिस्सा था लेकिन सम्बन्धित लेजर में की गई प्रविष्टि के अनुसार इसी रसीद के अन्तर्गत 4165+15(4)4267 रु0 की प्राप्ति दर्शाई गई है। अतः रु0 15344267 प्राप्त किए बिना ही प्रविष्टि करने का औचित्य स्पष्ट करें।

(ड़) रसीद सं0 2679। दिनांक 29.3.2000 द्वारा रु0 3564/- ग्राउंड रेंट दो वर्ष 1782.00 प्रति वर्ष के हिसाब से प्राप्त हुए लेकिन सम्बन्धित रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि तीन वर्षों हेतु कर दी गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा प्रविष्टि को सुधार कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत कराया जाए।

(च) रसीद सं0 24279 द्वारा ए.ई. धर्मशाला से रु0 5840.00 100 रु0 आधार की कीमत के प्राप्त किए गए ; दिनांक 13.8.98 को कितने आधार के जमा किए गए आधार लिए गए थे लेकिन 5840.00 रु0 कितने आधार के जमा किए गए तथा कितने आधार शेष रहे इस सम्बन्ध में कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

(छ) रसीद संख्या 2856। दिनांक 13.6.2000 द्वारा 240 दो आधार की कीमत के रूप में प्राप्त दर्शाई गई है लेकिन सम्बन्धित रजिस्टर में केवल एक आधार ही जारी किया गया दर्शाया गया है।

(ज) रसीद संख्या 28653 दिनांक 17.6.2000 द्वारा रु0 56283.00 रु0 प्रेफरेन्स राशि के स्लाटी संख्या 15409 के लिए जमा किए गए दर्शाए गए हैं। जिसकी प्रविष्टि स्लाटी रजिस्टर में कर दी गई है। इसके साथ ही एच.पी.टी.ए. फार्म रजिस्टर में इसी रसीद संख्या के अन्तर्गत रु0 30.00 दर्ज किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एच.पी.टी.ए. फार्म के पैसे वास्तव में प्राप्त ही नहीं किए गए हैं जिस हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए।

...24..

(ग) रसीद संख्या 30745 दिनांक 7.12.2000 अलोटी सं0 3424 एस.एच.एस.फ्लेट-एम-2 द्वारा जो रु0 756.00 रु0 प्राप्त किए गए दर्शाए गए हैं जबकि प्रविष्टि एक्सट्रेक्ट रजिस्टर आफ रिसीप्ट में किश्त प्राप्ति के अन्तर्गत की गई है लेकिन एलाटी रजिस्टर में ये ग्राउन्ड रेन्ट से सम्बन्धित दर्शाए गये है।

(घ) वाउचर संख्या 6 दिनांक 5.12.2000 में संलग्न एक्सट्रेक्ट रजिस्टर आफ रिसीप्ट तथा सबसिडरी रजिस्टर आफ रिसिप्ट में रसीद संख्या 30706 दिनांक 5.12.2000 एलाटी संख्या पांचवीं पी.एस.एफ.एस.हाउस बी-6302 से पूर्ण्य राशि ली दर्शाई गई है लेकिन एलाटी लेजर में रु0 6033.00 की प्रविष्टि कर दी गई है।

(ङ) रसीद संख्या 30690 दिनांक 5.12.2000 द्वारा ए.ई. कुल्लू से आधार लागत के रु0 900.00 जमा दर्शाए गए है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि किसके आधारों के लिए है तथा न ही सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर में उचित प्रविष्टि की गई है। इसी प्रकार रसीद संख्या 30615 दिनांक 12.12.2000 द्वारा ए.ई.धर्मशाला ने रु0 700.00 जमा करवाए है। जो कि आधार लागत से सम्बन्धित है लेकिन इसकी भी मानानुसार प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में नहीं दिखाई गई।

(च) रसीद संख्या 30618 दिनांक 13.12.2000 में एलाटी संख्या 5-पी.एस.एफ.हाउस-ए-6301 द्वारा रु0 3575.00 रु0 किश्त के तथा रु0 425.00 रु0 ब्याज के लिए गए दर्शाए गए है। अन्तिम सेली हेतु लेजरों में भी इसी प्रकार प्रविष्टि कर दी गई है जबकि एलाटी लेजर में किश्त रु0 3578.00 तथा ब्याज रु0 419.00 रु0 की प्रविष्टि की गई है। अतः उचित समायोजन की आवश्यकता है।

14. **अंकेक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाना :-**

निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके परिणामस्वरूप इनसे सम्बन्धित तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

172

(क) लीज डीड से सम्बन्धित अभिलेख :-

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या
1.	11001
2.	11004
3.	4615
4.	11520
5.	3586
6.	11760
7.	7334
8.	12183
9.	9275
10.	2046
11.	3227

(ख) अन्य नत्थियाँ :-

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन सं0	क्रमां0	रजिस्ट्रेशन सं0
1.	3578	14.	12001
2.	6300	15.	24361
3.	10505	16.	2065
4.	9445	17.	12073
5.	6303	18.	12184
6.	5041	19.	6303
7.	6387	20.	3588
8.	4833	21.	4730
9.	11756	22.	6402
10.	11641	23.	6320
11 12.	15025 7611	24.	4249
13.	2068	25.	3149

26.	11751	53.	7677
27.	9165	54.	9130
28.	3501	55.	3163
29.	12073	56.	9991
30.	12184	57.	4220
31.	3588	58.	4719
32.	4730	59.	9069
33.	6320	60.	5158
34.	4249		
35.	3149		
36.	3227		
37.	6260		
38.	9155		
39.	11751		
40	4639		
41.	3598		
42.	4684		
43.	4028		
44.	3382		
45.	4617		
46.	15173		
47.	6408		
48.	3213		
49.	3041		
50.	12154		
51.	4682		
52.	1405.		

...27...

174

...~~27~~.. 28-

(ग) निम्नलिखित रिकार्ड/प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं दिखाई गई :-

रसीद सं0	दिनांक	विवरण	राशि	टिप्पणी
28283	5.6.2000	तीजू डीह	30	सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई।
28295	5.6.2000	-"-	30	-"-
28332	6.6.2000	-"-	30	-"-
28335	6.6.2000	श्री मदन मोहन *P.A.(misc)*	34	सम्बन्धित रिकार्ड नहीं दिखाया गया।
28420	8.6.2000	तीजू डीह	30	सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दिखाई गई।
28422	8.6.2000	-"-	30	-"-
28435	8.6.2000	गोपाल कृष्ण *(misc)*	1,45,700.00	सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।
28678	20.6.2000	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर. *(CWC) Brochure cost*	100.00	सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई।
28683	21.6.2000	गोपाल कृष्ण *(Brochure cost)*	100.00	-"-
28719	24.6.2000	पुष्पा कौर *map cost*	50.00	-"-
28778	29.6.2000	*Brochure cost*	50.00	-"-
30826	14.12.2000	*map cost*	50.00	-"-
26713	23.3.2000	एच.पी.टी.ए. फार्म (6402)	30.00	एच.पी.टी.ए. रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं *की* गई।
26768	28.3.2000	-"- (4143)	30.00	-"-
26723	24.3.2000	मेप सर्वे (6402)	50.00	सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई।
26751	27.3.2000	तीजू डीह(3149)	30.00	-"-

पैरा :-(ii) बैंक समाधान सारणी दिनांक 12.1.2001 तक की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

§1§ पंजाब नेशनल बैंक क्युम्पटी द्वारा रू0 1,48,589.00 को अधिक डैबिट दर्शाया गया है जिसमें से रू0 1,22,510.00 का समायोजन वाउचर डाला गया है। रू0 26079.00 के सम्बन्ध में बैंक से स्पष्टीकरण लेकर उचित समायोजन किए जाने वांछित थे। बैंक सारणी में कई निकासियाँ ऐसी है जिनका चैक नं0 प्राधिकरण की चलित चैक बुक से मेल नहीं खाता है। जाहिर है कि बैंक द्वारा गलत प्रविष्टि की गई है। इसका उचित समायोजन बैंक से करवाया जाए।

§2§ उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 6197 कम जमा तथा रू0 11244.00 रू0 अधिक जमा §बैंक द्वारा§ दर्शाए गए हैं जिनका उचित समायोजन नहीं किया गया है। उपरोक्त अन्तरों की छानबीन करके उचित समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा :-(iii) दिनांक 1.4.2000 को पंजाब नेशनल बैंक दी माल के चालू खाते§करंट एकाऊंट्स 5058§ तथा बचत खाते§सेविंग एकाऊंट्स 40780§ में क्रमशः 99524.65 तथा §-14971.00§ रू0 का शेष दर्शाया गया है परन्तु 12.1.2000 को इनका शेष शून्य दर्शाया गया है। चालू खाते में से रू0 99404.65 की राशि को क्युम्पटी के खाते में स्थानान्तरित किया गया है तथा रू0 120 को बैंक खर्चे में डाला गया है। बचत खाते में से 96 रू0 ब्याज की प्राप्ति दर्शाई गई है। उपरोक्त दोनो बैंकों की पास बुक अथवा बैंक स्टेटमेन्ट जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई न ही इन इनके सम्बन्धित बैंक समाधान सारणी ही जाँच हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त रिकार्ड प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित रिकार्ड आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया करें।

पैरा :-(iv) निम्नलिखित बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान सारणी जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि दिनांक 12.1.2001 को बैंक के अनुसार दिए गए शेष में तथा रोकड़ वही में दिए गए शेष में अन्तर है :-

बैंक खाता सं0	रोकड़ वही में शेष।	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष	अन्तर
1. स्टेट बैंक आफ पटियाला खाता सं0 0110000 1662§ शिमला ईस्ट§	9783.44	17409.03	7625.59 अधिक.
2. यूको बैंक क्युम्पटी खाता सं0 एस.बी. 7454	8704.01	22483.01	13779/=अधिक
3. हिo/प्रo स्टेट को-आप्रेटिव बैंक सीमित, दी माल।	1259.00	2396.00	1137.00 अधिक.
4. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	10000.00	9960.00	40.00 कम

उपरोक्त अन्तरों का समाधान करने के उपरान्त उचित समायोजन प्रविष्टियाँ डाली जाएँ तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

... ...

176

AFF:(V) समायोजन वाउचर सं0 8 वर्ष 2000-2001 राशि 91308.00 रु0 :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा निम्न वर्णित सामग्री का क्रय किया गया था। परन्तु खरीदे गए सामान की स्टाक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में नही दिखाई गई। जिसे आगामी अंकेक्षण के समय दिखाया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि जमा करवाई जाए।

क्रम सं0	बिल सं0 व दिनांक	दुकानदार का नाम।	मद	मात्रा	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सीएम 2 हीसस. 8219.	दीपक सेल्स (रजि0)	एच.सी. एल. हवेल्पर.	1	1500+ 10% सी.एस.टी	1650.00
2.	28 22.7.97.	हिमाचल जेरोग्राफीक्स सेन्टर।	1.	1	6650	6650.00
			2.	1	750	750.00
			3.	1	500	500.00
			4.	1	1850	1850.00
						9750.00

कुल योग (क्रम सं0 1 व 2) =1650+9750=11400.00

.. ...

177

6. **प्राधिकरण के लाखों रुपये के सामान के चार्ज का न दिया जाना :-**

अंकेक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर/केयर टेकर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित सामान इन रजिस्टरों में शेष पड़ा था और इसका नगर विकास प्राधिकरण के आवास बोर्ड में विलय के कारण आवास बोर्ड को स्थानान्तरण किया जाना वांछित था परन्तु निम्नलिखित सामान की प्राप्ति की रसीद आवास बोर्ड से प्राप्त करके दिखाई जानी थी तथा रजिस्टर अनुसार कोई Handing over/Taken over नहीं किया गया था। अतः सामान की प्रत्यक्ष संस्थापना करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

स्टाक रजिस्टर पृष्ठ	सामान का विवरण		मात्रा
57	स्टील एग्जीक्यूटिव मेज	5'×3'	16 नं0
"	स्टील टेबल	6'×3'	1 नं0
"	स्टील टेबल	4'×2½'	5 नं0
"	स्टील टेबल	4'×2'	33 नं0
"	स्टील रैक	2	14 नं0
"	स्टील अलमारी (बड़ी)		37 नं0
"	-"- (मिडियम)		8 नं0
"	-"- (छोटी)		18 नं0
58	स्टील ड्राइंग टेबल, विद चेयर		6 नं0
	स्टील केबिनेट चेस्ट		4 नं0
	फायर प्रूफ गोदरेज चेस्ट 560×530 एमएम		1 नं0
	रिवाल्विंग चेयर एक्जीक्यूटिव		~~28/नं0~~ 4 नं0
	स्टील रिवाल्विंग चेयर		28 नं0

स्टील चेयर सीट एण्ड बैक	140 नं0
क्लास चेयर	14 नं0
वुडन चेयर	19 नं0
वुडन चेयर बैक सीट	30 नं0
वुडन स्टूल	2 नं0
वुडन पेग टेबल सन्माईका टोप 12"x 15"	2 नं0
वुडन ड्राइंग चेयर	2 नं0
वुडन बैंच	1 नं0
वुडन बैंच टाप वुडन 8 4x 15"x 16"	6 नं0
वुडन बैंच टाप वुडन 5x 15"x 18"	2 नं0
वुडन फव्वारा टाप वुडन 36"x 15"x 12"	12 नं0
वुड मी स्टैण्ड 12"x 12"x3"-3फुट हाईट	4 नं0
59. सेन्ट्रल टेबल विद ब्लैक ग्लेज ग्लास 3x 1$\frac{1}{2}$	1 नं0
सेन्ट्रल टेबल 4x2	2 नं0
वुडन रैक	13 नं0
3 पीस सोफा सैट	3 नं0
आफिस स्क्रीन थ्री फोल्ड 6x6	1 नं0
टेनिस बाक्स वुडन	1 नं0
टेबल ग्लास स्टैण्ड	3 नं0
वुडन अलमारी	2 नं0
फुट रेस्ट	9 नं0
नेम प्लेट	12 नं0
60 वाल क्लाक	3 नं0
वुडन टेबल 6x4	3 नं0

वुडन टेबल 5½×4	1 नं0
वुडन टेबल 5×3	9 नं0
वुडन टेबल 4×2½	11 नं0
वुडन टेबल 4×2	1 नं0
वुडन टेबल 3×2	1 नं0
वुडन टेबल 3×6	1नं0
वुडन टेबल 3×3	1 नं0
ड्राफ्ट्सि टेबल विदाउट चेयर	4 नं0
फायर एक्सटींग्विशर	6 नं0
अमुनिया प्रिंटिंग मशीन [आटोमेटिक]	1 नं0
अमुनिया प्रिंटिंग मशीन [मैनुअल]	1 नं0
साईक्लोस्टाईल मशीन	1 नं0
61 फोटोस्टेट मशीन	2 नं0
अमोनियाँ चोक्स बोर्ड	1 नं0
वी.आई.पी. ब्रीफ केस	4नं0
ब्रीफ केस [ ]	2 नं0
इन्टर कोम्स	13 नं0
कैलकुलेटर [साधारण]	6 नं0
कैलकुलेटर [साईंटिफिक]	4 नं0
वाटर फिल्टर [स्टील]	5 नं0
स्टील अल्मारी [लाईब्रेरी]	1 नं0
फायर रिजिस्टेंटिंग आयरन	1 नं0
फैक्स मशीन [मोदी जिरोक्स]	1 नं0
वोल्टेज स्टेबलाईजर	5 नं0
साईन बोर्ड 4×2 जी.आई. शीट	1 नं0
-"- पी.वी.आई.शीट 19×2½	1 नं0
डिस्प्ले बोर्ड वुडन	3 नं0

सोफा सेट कवर	6 नं0
कारपेट	301.81 वर्ग मी.
टेलीफोन मेट केस	3 नं0
पर्दे	134 नं0
कारपेट	1 नं0
यूनिटेक्स नान वुवन कारपेट	897.90 व.मी.
वुलन कार्पेट मोदी	7.63 वर्ग मी.
डोरमेट 3x $1\frac{1}{2}$	11 नं0
डस्टबीन	1 नं0
नेशनल फ्लेग	1 नं0

16. **प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति के बिना वेतन तथा भत्तों की अदायगी :-**

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 9/99, 3/2000, 6/2000 व 12/2000 के वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। परन्तु उनकी प्रतिनियुक्ति की कार्यरत अवधि की बढ़ोतरी की स्वीकृति उनके पैतृक/मूल विभाग से प्राप्त किए बिना ही वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है। सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की सेवा अवधि की कार्योत्तर स्वीकृति उनके पैतृक/मूल विभाग से प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

क्रम सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम.	नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती करने की तिथि।	किस अवधि की स्वीकृति ली गई है।	अवधि जिस की स्वीकृति ली जानी है
1.	श्री अनिल गुप्ता, स0अभियन्ता।	28.9.99	27.9.00	28.9.00 से 16.2.01 तक

2. सहज राम ठाकुर, अ0अ0	6.7.99	5.7.2000	6.7.00 से 31.3.01
3. हरिशरन ठाकुर तहसीलदार .	6.1.98	5.1.99	6.1.99 से 1.5.00
4. राजिन्दर पाल अधीक्षक-II	26.6.98	6.10.00	7.10.00 से 31.3.01
5. मदन मोहन शर्मा पी.ए.	5.12.96	4.12.99	5.12.99 से 30.6.00
6. लोकेन्द्र सिंह,पटवारी	20.8.96	19.8.99	20.8.99 से 31.5.00
7. कृष्ण लाल,पटवारी	12.7.96	11.7.99	12.7.99 से 31.3.01
8. वी.वी.कालरा अधिशांषी अभियन्ता।	5.3.99	4.3.00	5.3.00से 8.2.01
9. वी.केमान स0अभियन्ता।	1.8.97	31.7.00	1.8.00 से 20.3.01
10. विनोद कुमार शर्मा क0अभियन्ता।	29.10.00	28.10.00	29.10.00से 6.1.01
11. शशिकांत सैनी, क0अभियन्ता।	20.12.99	19.12.00	20.12.00 से ~~XX/X/X~~ 31.1.2001
12. आई.डी.गर्ग स.अभियन्ता	29.6.98	28.6.98	29.6.99से 16.3.01
13. सीताराम चौहान एस.डी.एम.	10.4.97	9.4.00	10.4.00से 31.3.01
14. रूप राम चौहान व0स0	2.5.98	1.5.00	2.5.00से 13.1.01
15. आर.सी.गुप्ता क0 अभियन्ता	2.11.98	1.11.98	2.11.9से 31.3.01
16. देविन्द्र सिंह. क0 अभियन्ता	14.12.99	13.12.99	14.12.99 से 12.1.2001

17. सतीश चन्द्र ड्राफ्ट्स मैन	23. 1.96	22. 1.2000	23. 1.00 से 3. 4. 2001
18. वी.सी.सूद स0अभियन्ता	15. 12. 98	14. 12. 99	15. 12. 99 से 31. 1.2001
19. प्रतिपाल कुमार स. अभियन्ता।	26. 7. 99	25. 7. 00	26. 7. 00 से 9. 2. 01
20. एस.के शर्मा क0 अभियन्ता	6. 1. 97	31. 12. 99	1. 1. 2000 से 9. 2. 2001
21. रमेश कुमार अधिशासी अभियन्ता।	23. 7. 96	22. 7. 97	23. 7. 97 से 14. 6. 2000
22. वी.सी. परदेशी स. अभियन्ता।	1. 8. 97	31. 7. 98	1. 8. 98 से 31. 3. 2001
23. विक्रम सिंह अधीक्षक	1. 6. 98	31. 5. 00	1. 6. 2000 से 31. 3. 2001
24. कर्मीर सिंह चन्द व0स0	8. 5. 95	7. 5. 2000	8. 5. 2000 से 28. 4. 2001
25. सी.आर. तन्वर क. अभियन्ता.	3. 8. 94	2. 8. 99	3. 8. 99 से 24. 10. 2000
26. ईश्वर दत्त शर्मा. क. अभियन्ता	23. 5. 95	22. 5. 98	23. 5. 98 से 30. 6. 2001
27. केसर राम व.स.	13. 5. 98	12. 5. 2000	13. 5. 2000 से 31. 3. 2001

...34..

नगर विकास प्राधिकरण में अवधि 1.7.99 से 31.8.99 तक एक विधि अधिकारी के स्वीकृत पद पर दो विधि अधिकारी की तैनाती के कारण रु 25,514.00 रुपये की राशि का अनियमित भुगतान :-

---

हिमाचल नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या: एच.पी.एन.वी.पी.-प्रशासन(ए) पी.एफ/टी.सी./98-11824-27, दिनांक 8.10.1998 द्वारा श्री तारा चन्द केन्थला विधि अधिकारी ने 28.9.98 (अपराह्न) को प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण किया तथा कार्यालय आदेश संख्या: एच.पी.एन.वी.पी.-प्रशासन(ए) पी.एफ-टी.सी./98-1394-99 दिनांक 31.8.99 द्वारा श्री तारा चन्द केन्थला, विधि अधिकारी को 31.8.99 (अपराह्न) को नगर विकास प्राधिकरण से कार्यभार मुक्त किया।

नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या:एच.पी.एन.वी.पी.-प्रशासन(ए)पी.एफ.-ए.आर./99-5044-45, दिनांक 1.7.99 को कार्य ग्रहण किया तथा 6.9.2000 तक प्रतिनियुक्ति पर नगर विकास प्राधिकरण में कार्यरत थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण में विधि अधिकारी के एक पद पर दो विधि अधिकारी, अवधि 1.7.99 से 31.8.99 तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे तथा दोनों विधि अधिकारियों को उपरोक्त अवधि के वेतन तथा भत्तों का भुगतान वेतन रजिस्टर वर्ष 1999-2000 के पृष्ठ 49 व 129 अनुसार निम्न प्रकार किया गया था :-

	श्री आत्मा राम विधि अधिकारी	श्री ताराचन्द विधि अधिकारी
मूल वेतन	7[illegible].00	8100.00
प्रतिनियुक्ति भत्ता	394.00	810.00
मंहगाई भत्ता	2916.00	2997.00
मकान किराया भत्ता	500.00	500.00
राजधानी भत्ता	100.00	100.00
क्षतिपूर्ति भत्ता	250.00	250.00
	12040.00	12[illegible]57.00

...

इस प्रकार वेतन तथा भत्तों के रूप में कुल 25,514.00 रुपये की राशि का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया है जिसका औचित्य सही प्रतीत नहीं होता। एक पद पर दो विधि अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर विकास प्राधिकरण वर्ष 1998-99 में 2 पद अधीक्षक ग्रेड-II के सृजित थे परन्तु वेतन रजिस्टर वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधीक्षक ग्रेड-II नगर विकास प्राधिकरण में तैनात थे तथा वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। दो पद अधीक्षक ग्रेड-II के विरुद्ध निम्नलिखित अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त अधिक अधीक्षकों की तैनाती के कारण हुई वित्तीय हानि की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये :-

वर्ष 1999-2000

वेतन रजिस्टर पृष्ठ	अधीक्षक का नाम	वेतनमान	अवधि जिसका वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया गया
11	पी.आर. वर्मा	6400-10640	1.3.99से27.1.2000
12	पी.डी. शर्मा	6400-10640	1.3.99 से 30.11.9[illegible]
59	के.डी. ठाकुर	6400-10640	1.3.99 से 19.7.99
60	डी.आर. भारद्वाज	7220-11660	1.3.99 से 30.4.99
61	विजय सिंह	6400-10640	1.3.99 से 29.2.20
68150	राजिन्द्र पाल	6400-10640	1.12.99 से 28.2.20
156	भिखी राम	6400-10640	5.1.2000से29.2.200

वर्ष 2000-2001 :-

103	विजय सिंह	6400-10640	1.3.2000 से 28.2.[illegible]
25	राजिन्द्र पाल	6400-10640	1.3.2000से 28.2.01
27	पी.डी.शर्मा	6400-10640	1.3.2000से 28.2.01
46	भिखी राम	6400-10640	1.3.2000से 6.1.01

...39...

कार्यालय आदेश संख्या एच.पी.एन.ओ.पी. इलाहाबाद-पी.एफ./ वी.के./97-6935-36, दिनांक 12.10.1999 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार वरिष्ठ ट्रालमैन को दिनांक 5.9.98 से वार्षिक वेतन वृद्धि से वेतन 6600.00 रुपये से 6800.00 रुपये पुनःनिर्धारित किया गया था उपरोक्त की जाँच करने पर पाया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार वरिष्ठ ट्रालमैन निम्नलिखित असाधारण अवकाश पर थे तथा यह अवकाश की अवधि अवकाश की स्वीकृति के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु नहीं गिनी जानी थी :-

अवकाश की अवधि	दिन	कार्यालय आदेश संख्या
3.11.97 से 13.11.97	11	सि.प्र.न.नि.ग्रा.-इलाहाबाद(पी.एफ.)वी.के./98-5611-13 दिनांक 24.2.98.
8.5.98	1	उपरोक्त नं0 9435-77, दिनांक 30.6.98
23.8.98 से 26.8.98	4	उपरोक्त नं0 2196-98, दिनांक 31.9.98
14.9.98 से 15.3.99	183	—यथोपरि—

उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ ट्रालमैन को 5.9.98 को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जानी थी बल्कि यह 17.9.98 को दी जानी अपेक्षित थी क्योंकि श्री वीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ ट्रालमैन 16 दिन के असाधारण अवकाश पर थे उनको वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 1.9.98 से स्थगित करके दिनांक 17.9.98 को दी जानी थी परन्तु श्री वीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ ट्रालमैन 14.9.98 से 15.3.99 तक भी असाधारण अवकाश पर थे। अतः उनको वार्षिक वेतन वृद्धि 16.3.99 को कार्य-ग्रहण करने पर दी जानी थी। अतः 5.9.98 से 3.9.98 तक दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि की शीघ्र वसूली रु0 73.00 रुपये निम्न प्रकार की जाये :-

वेतन वृद्धि के फलस्वरूप भुगतान किया गया।	वेतन दिया जाना था	अधिक भुगतान किया गया
वेतन 6800.00	6600.00	
मंहगाई भत्ता 1496.00	1452.00	
कुल : 8296.00	8052.00	244/30 73.00

...

14. श्री विरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ [illegible] 14.9.98 से 15.3.99 तक असाधारण अवकाश पर थे परन्तु वेतन रजिस्टर वर्ष 1999-2000 पृष्ठ 27 के अवलोकन पर पाया गया कि उनको 15.3.99 से 31.3.99 तक के वेतन का भुगतान किया गया है। अतः 15.3.99 के एक दिन के वेतन का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी शीघ्र वसूली निम्न प्रकार की जावे तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जावे :-

	माह का वेतन	15.3.99 से 31.3.99 तक के वेतन का भुगतान किया गया	16.3.99 से 31.3.99 तक का भुगतान किया जाना था।
वेतन	6800.00	3729.00	3510.00
मंहगाई भत्ता	2176.00	1193.00	1123.00
प्रतिपूर्ति भत्ता	200.00	110.00	103.00
राजधानी भत्ता	100.00	55.00	52.00
मकान किराया भत्ता।	400.00	219.00	206.00
	9676.00	5306.00	4994.00

अधिक किया गया भुगतान ...... 312.00 रुपये

15. अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी हिमाचल प्रदेश कर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे तथा उनको कार्यभार मुक्त करने के उपरान्त भी जोइनिंग टाईम का प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया था जो कि अनियमित है। जोइनिंग टाईम में प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जावे अन्यथा अनियमित रूप से अधिकभुगतान की गई प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जावे :-

... ...

61-

....41 ...

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पदनाम	कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यभार मुक्त करने की तिथि	प्रतिनियुक्ति ग्रहण किया गया	देय राशि	दी गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
10	श्री भिखारी राम अधीक्षक।	6.1.2001	8.1.2001	178.00	245.00	67.00
[illegible]	श्री शैलेन्द्र कुमार स0 अभियन्ता	29.5.99	31.5.99	913.00	976.00	63.00
[illegible]	श्री योगराज शर्मा, स्टेनो	7.4.2000	9.4.2000	95.00	126.00	31.00
[illegible]	रविन्द्र दत्त शर्मा, अधीक्षक	12.7.99	25.7.99	135.00	282.00	147.00
[illegible]	विकास कुमार, [illegible]	6.1.2001	7.1.2001	70.00	81.00	11.00
11	गंगा राम शर्मा, अधीक्षक।	27.1.2001 (पूर्वाह्न)	27.1.2001	386.00	401.00	15.00

ग. <u>वाउचर संख्या 17, दिनांक 2.6.2000 राशि 3089.00 रुपये :-</u>

रु0 3089.00 रुपये की राशि का भुगतान श्री हरि चरन जाहर तहसीलदार को वेतन का अवधि 1.5.2000 से 8.5.2000 तक का किया गया।

इस भुगतान को जाँच करने पर पाया गया कि श्री हरिचरन जाहर तहसीलदार जो प्रतिनियुक्ति पर कार्य विकास प्राधिकरण में कार्यरत थे को पत्र संख्या [illegible]/2000-2754-56, दिनांक 2.5.2000 द्वारा दिनांक 1.5.2000 (अपराह्न) को कार्य विकास प्राधिकरण से कार्यभार मुक्त किया गया था तथा 2.5.2000 से 8.5.2000 [illegible] 7 दिवस के कार्यग्रहण काल अवधि (जोड़ा नहीं गया) का प्रतिनियुक्ति [illegible] का भुगतान वेतन के साथ निम्न प्रकार किया गया है :-

... ...

	देय का वेतन	1.5.2000 से 8.5.2000 तक का वेतन का किया गया भुगतान
		1920.00
वेतन	7440.00	192.00
प्रतिनियुक्ति भत्ता	744.00	
मंहगाई भत्ता	2753.00	710.00
प्रतिपूर्ति भत्ता	250.00	65.00
राजधानीभत्ता	100.00	26.00
मकान किराया भत्ता	700.00	181.00
	11987.00	3089.00

उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि 8 दिनों का प्रतिनियुक्ति भत्ता रु 192.00 रुपये का भुगतान किया गया जबकि दिनांक 1.5.2000 का रु 24.00 रुपये भुगतान किया जाना वांछित था। इस प्रकार रु 168.00 रुपये [192-24] को राशि के अधिक किए गए भुगतान को शीघ्र वसूली की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये।

[2] अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते का निर्धारित अवधि के उपरान्त भी भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है अधिकभुगतान की गई प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि की शीघ्र वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये :-

अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम।	प्रतिनियुक्ति भत्ते की निर्धारित देय तिथि।	प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान किया गया।	अधिक भुगतान की गई राशि [रु]
श्री सुदर्शन कुमार शर्मा, व.स.	29.7.99	31.8.99	394.00
श्री अम्बी चन्द,व.स.	18.9.99	31.10.99	1155.00 [रु 1011 रुपये की वसूली कर ली गई है]

...43...

श्री एस.डी. चमोली, सी.एच.डी.	2.8.99	31.8.99	887.00
श्री ओ.पी.गुप्ता क0 अभियन्ता	20.3.99	31.3.99	115.00
श्री सुभाष चन्द्र, कोषाध्य, ई.ए.डी	22.8.99	30.11.99	1514.00 (रु0 1394.00 की वसूली वेतन से कर ली गई है)
श्री सुनील कुमार, ड्राफ्ट्समैन	19.3.2000	31.3.2000	124.00
श्री प्रवीण कुमार, ड्राफ्ट्समैन	23.9.2000	30.9.2000	75.00
श्री गोविन्द सिंह, पटवारी।	19.8.2000	31.8.2000	100.00

(वर्तमान दोनों शिमला मण्डल)

संविदाकारों को जारी रु0 33,58,000.00 रुपये की जारी भण्डार सामग्री की राशि वसूली हेतु शेष :-

निम्न प्रकरणों में संविदाकारों को जारी भण्डार सामग्री की शेष राशि की वसूली नहीं की गई थी जबकि इनमें से अधिकांश कार्य या तो समाप्त हो चुके थे या निरस्त हो चुके थे प्रायः यह पाया गया है कि कार्य समाप्ति पर संविदाकार का अन्तिम बिल नहीं बनाया जाता है क्योंकि संविदाकार से प्राधिकरण को उल्टी राशि प्राप्तव्य होती है। यह स्थिति ऐसे मामलों में उत्पन्न हुई जिनमें संविदाकार के रनिंग बिलों से भण्डार सामग्री की या तो वसूली ही नहीं की गई या बहुत कम मात्रा में वसूली की गई जिसके परिणामस्वरूप संविदाकारों से भण्डार सामग्री की वसूली शेष रही। इसके अतिरिक्त जो कार्य निरस्त किए जाते थे उनको जारी भण्डार सामग्री को अनुबन्ध की धारा ______ के अनुसार कमेटी गठित न करके वापिस स्टाक में प्राप्त नहीं किया गया तथा बाद समय में यह सामग्री साईट पर नहीं मिली जो कि प्राधिकरण के उपेक्षापूर्ण दायित्व को परिलक्षित करती है। अंकेक्षण द्वारा हर वर्ष रिपोर्ट में इस ओर पर्याप्त ध्यान देने हेतु अनुरोध करने पर भी प्राधिकारियों द्वारा उचित ध्यान न देने के कारण प्राधिकरण को हानि उठानी पड़ी है

... ...

जिसके सम्पूर्ण जाँच एवं दायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है। निम्न प्रकरणों में भण्डार सामग्री की तुरन्त वसूली हेतु उचित व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है :- वर्तमान आवास मण्डल-एक

ठेकेदार खाता बही पृ०सं०	ठेकेदार का नाम एवं कार्य अनुबन्ध संख्या	भण्डार विवरण	शेष वसूली की राशि (रु०)
4-56	वर्मा संजय कुमार, वर्क आर्डर संख्या 2/98-99	सीमेन्ट स्टील	3,979/-
4-39	अनिल गुप्ता अनु० सं० 12/96-97	सीमेन्ट स्टील आदि	35,726/-
4-66	एम.एस.गुप्ता एसो० अनु. सं. 32/97-98	—"—	1,12,381.00
4-63	गरीश गुप्ता अनु.सं. 1/99-2000	—"—	680.00
4-70	गुलाम रसूल वर्क आर्डर सं० 1/99-2000	—"—	12,635.00
4-74	एम.एस.गुप्ता एसो० अनु.सं. 1/98-99	—"—	15,694.00
4-83	गरीश गुप्ता अनु.सं. 5/99-2000	—"—	81,762.00
4-86	राजीव मल्होत्रा	— —	92,496.00
3-61	मै० अग्रवाल एण्ड को० अनु.सं. 2/92-93	—"—	56,390.00
3-66	मदन राम	—"—	2,618.00
3-67	मदन राम अनु.सं. 5/95-96	—"—	5,037.00
3-69	एम.के.मिलानी अनु.सं. 29/93-94	—"—	2,132.00 (बिल मार्जिन से है)
3-71	एम.के.मिलानी अनु.सं. 17/94-95	—"—	[illegible]2.00
3-75	एम.के.मिलानी वर्क आर्डर सं० [illegible]/95-96	—"—	5,176.00
3-75	एम.के.मिलानी [illegible]	—"—	3,304.00

... ...

3-75	एम.के. मिलवानी अनु.सं. 31/95-96	सीमेंट स्टील आदि	3,519.00
3-83	एल.एम.कन्स्ट्रक्शन कं0 अनु.सं. 3 /9 -9	—"—	25,264.00
3-92	देवेन्द्र ठाकुर अनु.सं. 1/95-96	—"—	1,449.00
3-108	जंग बहादुर वर्क आर्डर सं0 112/95-96	—"—	1,800.00
3-111	संजय सूद वर्क आर्डर संख्या 120/95-96	—"—	3,096.00
3-133	मे0 सिम इन्फ्रास्ट्रक्चर अनु.सं. 27/97-98	—"—	21,276.00
3-175	अरविन्द गुप्ता अनु.सं. 41/95-96	—"—	43,883.00
3-202	रमेश सिंह अनु. सं. 14/96-97	—"—	2,500.00
3-209	अजय अग्रवाल अनु.सं. 14/95-96	—"—	82,313.00 (मिस गाईडेंस में है)
3-212	अजय अग्रवाल अनु.सं.22/96-97	—"—	8,064.00
4-59	अनिल गुप्ता अनु.सं. 12/97-98	—"—	55,730.00
4-30	श्री एम.के. शिवानी अनु.सं. 37/95-96	—"—	3,27,328.00 (मिस गाईडेंस में है)
4-53	विपिन कुमार, अनु.सं. 25/97-98	—"—	8,245.00
4-114	कपिल कन्स्ट्रक्शन अनु.सं. 1/2000-01	—"—	51,502.00
		योग :	10,71,853.00

....

... ...

कांगड़ा आवास मण्डल की ओर

ठेकेदार खाता बही सं.व.पृष्ठ	ठेकेदार का नाम एवं अनुबन्ध संख्या	भण्डार विवरण (सामग्री)	शेष वसूली योग्य राशि(रु0)
1-11	हर्षीत सिंह कुमार अनु.सं. 13/93-94	सीमेन्ट, स्टील, सी.आई, आई/जी.आई. शीट आदि	41,340.00
1-19	श्री माडू राम अनु.सं.10/93-94	—"—	11,200.00
1-20	श्री कामेश्वर अनु.सं. 21/93-94	—"—	1,120.00
1-22	प्रेम दत्त एवं रमेश अनु.सं. 10/93-94	—"—	63,405.00
1-49	पंकज कुमार सूद अनु.सं. 1/93-94	—"—	3,333.00
1-56	अजय सूद अनु.सं. 5/91-92	—"—	1,99,546.00
1-76	अजय सूद अनु.सं. 11/95-96	—"—	7,740.00
1-80	मै0 कुन्दन लाल हरि राम अनु.सं. 3/90-91	सिक्योरिटी अग्रिम	1,65,770.00
1-81	मै0 कपिल कन्स्ट्रक्शन अनु.सं. 16/95-96	तारकोल	1,62,681.00
1-84	मै0 अग्रवाल एण्ड को0 अनु.सं. 52/87-88	भण्डार सामग्री	1,47,828.00
1-84	मै0 केसरी कन्स्ट्रक्शन अनु.सं. 5/89-90	यथोपरि	8,01,297.00
1-84	गोविन्द सिंह अनु.सं. 25/95-96	यथोपरि	15,480.00
1-95	प्रताप चौहान अनु.सं. 24/95-96	यथोपरि	23,480.00
2-1	नरेश वर्मा अनु.सं. 7/96-97	यथोपरि	903.00

... ...

K

2-2	सुनील मल्होत्रा वर्क आर्डर संख्या 7/96-97	भण्डार सामग्री	2,540.00
2-2	जितेन्द्र ठाकुर (एन.ए.)	-यथोपरि-	[illegible],450.00
2-2	सुनील कुमार वर्क आर्डर सं० 9/96-97	-यथोपरि-	3,870.00
2-3	जितेन्द्र ठाकुर वर्क आर्डर सं० 10/96-97	उपरोक्त यथोपरि	2,580.00
2-8	सुनील मल्होत्रा अनु.सं. 10/96-97	यथोपरि	35,700.00
2-9	देवेन्द्र भट्ट अनु.सं. 16/96-97	-यथोपरि-	67,766.00
2-11	अशोक ठिक्कर अनु.सं. 15/95-96	-यथोपरि-	24,301.00
2-20	विपिन कुमार व.आ. सं. 20/96-97	-यथोपरि-	5,283.00 516-00
2.20 2-25	(जितेन्द्र कुमार, व.आ.सं.16/96-97 प्रदीप चौहान अनु.सं. 25/96-97	-यथोपरि-	27,735.00
2-27	विपिन कुमार अनु.सं. 27/96-97	-यथोपरि-	837.00
2-35	अजय अग्रवाल अनु.सं. 1/97-98	-यथोपरि-	3,31,992.00
2-38	पंकज चौहान वर्क आर्डर संख्या 36/96-97	-यथोपरि-	18,054.00
2-51	मोहन सिंह वर्क आर्डर सं० 22/96-97	-यथोपरि-	524.00
2-58	नरेश वर्मा अनु.सं. 17/96-97	-यथोपरि-	6,450.00
2-59	नरेश वर्मा अनु.सं. 18/96-97	-यथोपरि-	1,290.00
2-67	विनोद कुमार अनुबन्ध संख्या 8/97-98	-यथोपरि-	[illegible],131.00
2-75	के० पेरोदा वर्क आर्डर संख्या 22/97-98	-यथोपरि-	133.00
3-9	जितेन्द्र पुरी अनु.सं. 16/99-2000	-यथोपरि-	544.00

195

[illegible]-177	विनोद चौहान वर्क आर्डर (हस्त.)	भवन[illegible] सामग्री	[illegible],[illegible]9.00

(पूर्व [illegible]) [illegible]

1-34	मै० कृष्णन लाल हरी राम एण्ड को अनु.सं. एच.डी.एम.सी.टी. (सिवि) 35/95-96	भवन सामग्री	7,740.00
1-36	अजय गुप्ता (सि.) 3/95-96	—"—	19,380.00
1-70	विनोद चौहान वर्क आर्डर 13/97-98	—"—	2,600.00
2-93	राकेश कुमार अनु.सं. 1/97-98	—"—	665.00
2-95	राजीव मल्होत्रा अनु.सं. 9/97-98	—"—	1,139.00
2-95	राजीव मल्होत्रा (कार्य नहीं)	—"—	2,622.00
2-111	मोहन सिंह अनु.सं.17/97-98	—"—	9,594.00
2-117	मोहन सिंह अनु.सं. 4/98-99	—"—	5,722.00
2-135	टी.के. बिल्डर्स अनु.सं. 1/99-2000	—"—	4,746.00
2-139	मोहन सिंह अनु.सं. 10/98-99	—"—	2,992.00
2-145	अजय कुशियाला अनु.सं. 10/99-2000	—"—	37,264.00
2-149	सुरेन्द्र चौहान अनु.सं. 9/2000-2001	—"—	610.00
		कुल :	33,33,000.00

... ...

(वर्तमान आवास बोर्ड खण्ड एक व दो)

अधूरे छोड़े गये संविदाकारों के माईनस अन्तिम बिल परन्तु आरबीट्रेशन के एवार्ड पर अत्याधिक राशि के एवार्ड दिए जाने के कारणों की जांच व उत्तरदायित्व निर्धारित न करना :-

(क) विभिन्न (निर्माण) कार्य जो संविदाकारों द्वारा समय सीमा पर निर्माण पूरा न करने के कारण मूल्यों में वृद्धि से सम्भावित घाटे से बचने के उद्देश्य अथवा अन्य किसी कारण अधूरे छोड़ दिए जाते हैं में अनुबन्ध की धारा के अनुसार आरबीट्रेशन हेतु भेज दिए जाते हैं प्राधिकरण द्वारा निम्न अनुबन्ध से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को आरबीट्रेशन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इन सभी निर्माण कार्यों के अन्तिम बिल माईनस में थे अर्थात प्राधिकरण को संविदाकारों से प्राप्तव्य देय राशि (रिकवरी) थी परन्तु आरबीट्रेशन के दौरान इन संविदाकारों के हक में एवार्ड प्रदान किये गये जोकि स्पष्टतः इस स्थिति का द्योतक है कि प्राधिकरण द्वारा संविदाकर्ता से निर्माण कार्य पूरा करवाने में कहीं न कहीं प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही रही होगी जिसकी पूर्णतया जांच किये जाने व इन त्रुटियों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्राधिकरण द्वारा किसी भी निर्माण कार्य का इस सन्दर्भ में मूल्यांकन नहीं किया गया तथा समस्त एवार्ड समयावधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया जिससे एकओर निर्माण कार्यों की लागत में बढ़ोतरी हुई तथा आवंटियों को आवंटित मकान मंहगे दामों में पड़े। निम्न तालिका में प्राधिकरण द्वारा पारित अन्तिम बिल माईनस में थे जबकि आरबीट्रेटर द्वारा प्रदान किया गया एवार्ड उससे कई गुना अधिक है। अतः सम्पूर्ण अनुबन्ध निर्माण कार्य की पुनः जांच करवा कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	संविदाकार का नाम व अनुबन्ध संख्या	अन्तिम बिल माईनस राशि (रु०)	आरबीट्रेशन द्वारा जारी एवार्ड/संविदाकार के पक्ष में (रु.)	विभागीय [illegible]
1.	आर.के.कपिला अनु.सं. 14/89-90	-1,16,334	1,79,97,260/-	172155 [illegible]

... ...

61-

901
197
196

...50...

मै० ओमेगा कन्स्ट्रक्शन कं० अ.सं. 13/1989-90	-13,68393	54,19,367/- (रसी)	7_,77,459/- बी.वी.
श्री एस.के. त्रिपाठी अ.सं. 37/95-96	-4,51,780	9,82,229/- (रसी)	5,32,487/- (बी.वी.)
श्री अजय अग्रवाल अ.सं. 1/97-98	-1,26,405	1,36,88,462/- (रसी)	1,66,252/- बी.वी.
श्री अजय अग्रवाल अ.सं. 14/95-96	-2,01,104	46,68,864/- (रसी)	प्रति दावे प्रस्तुत नहीं किए गये।
6. मै० कपिल कन्स्ट्रक्शन अ.सं. 21/96-97	(अभी अन्तिम बिल नहीं बनाया गया)		
7. श्री आर.एस. राजा अ.सं. 6/92-93	-16,69,161	1,10,29,192/- बी(बी)	27,19,870/- बी.वी.
8. मै० गुरचरन इन्डस्ट्रीज अ.सं. 6/1989-90		1,27,873+(र) ब्याज 54,646	(उच्च न्यायालय में दायर नहीं करवाया गया सीधा भुगतान किया गया)
9. श्री आर.के.कपिला अ.सं. 12/89-90	(-)1,36,831	1,95,7_8 (र)	(उच्च न्यायालय में लम्बित)
10. मै० यू.पी.बी. कन्स्ट्रक्शन को०			
21 अ.सं. 16/87-88	-2,77,018	1,44,6_1(र)+11% ब्याज	
17 अ.सं. 15/87-88	- 54,119-	31,342 + 11% ब्याज	
50 अ.सं. 17/87-88	-4,98,411/-	7,01,810 + यथोपरि	
51 अ.सं. 18/87-88	-1,06,410/-	1,29,067 + यथोपरि	
52 अ.सं. 19/87-88	- 98,928/-	1,29,272/- + यथोपरि	
11. श्री आर.एस. राजा अ.सं. 11/89-90	4,53,725/-	8, 66,707/ (र) उच्च न्यायालय में लम्बित	
12. श्री प्रमोद शिवहरे	1,48,084/-	68,596 (र) उच्च न्यायालय में लम्बित	
13. श्री राजीव मल्होत्रा	(अभी निम्न न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है)		
14. मै० एन.बी. एसोसिएट्स	(अभी निम्न न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है)		

... ...

(वर्तमान क्रमांक संख्या दो)

1. श्री भरत बोहरा — 3,56,151 — 4,23,164 (सी) — 4,06,017 (सी.सी.)
   अनु.सं. 4/91-92
2. हिन्दुस्तान कोर्ड/ भरत बोहरा — 13,391 — 54,505 (सी) — 2,26,110 (सी.सी.)
   अनु.सं.सी (8)/92-93
3. श्री सतीश कुमार गोयल — (ठेकेदार द्वारा कार्य ही नहीं किया गया)
   अनु० सं० 27/98-99
4. श्री नरेन्द्र कुमार शास्त्री — 50,821/- (अभी दावे प्रतिशत निर्धारित नहीं हुए)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित/ पारित अन्तिम बिल पत्रावली में होने के बावजूद भी एवार्ड ठेकेदारों के पक्ष में पारित हुए तथा अन्य केस जिनमें अभी आरबीट्रेशन एवार्ड नहीं हुआ है उनमें भी ठेकेदारों के क्लेम विभागीय काउन्टर क्लेमों से अधिक निर्धारित हुए हैं [illegible] पद स्वतः ही स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण की कुप्रबंधन कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं किसी प्रकार अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अथवा कार्य निष्ठा के साथ निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसी त्रुटियां [illegible] ठेकेदारों ने उनका लाभ आरबीट्रेशन में प्राप्त किया जिसकी सम्पूर्ण जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि उक्त तालिका [illegible] एक के क्रम सं० दो पर [illegible] के प्रतिशत [illegible] तौर पर अधिक है तथा शेष अन्य भी दावों में [illegible]

उपरोक्त [illegible] संख्या एक के क्रम सं० 10 में [illegible] संख्या (ख) [illegible] 18/87-88 माननीय उच्च न्यायालय से [illegible] अस्वीकार किया गया कि [illegible] करने में देर पर आपत्तियां निर्धारित 30 दिन के समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया था तथा प्राधिकरण को एवार्ड राशि रु 1,29,067.00 तथा उस पर 11 प्रतिशत ब्याज सहित एवं विभागीय [illegible] को मिलाकर कुल रु 1,52,039.00 रुपये का भुगतान ठेकेदार को [illegible] 22.6.2000 द्वारा किया गया। अतः निर्धारित समय सीमा के भीतर [illegible] दायर न करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाये।

...

बोर्ड के उच्चाधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।

(घ) क्रम संख्या 8 की एवार्ड राशि का भुगतान मैसर्स पुष्पराज इलेक्ट्रो... को रू 1,21,873.00 रूपये एवार्ड राशि व ब्याज रू 54,646.00 रूपये कुल 1,76,519.00 रूपये का भुगतान किया गया इस एवार्ड को माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जावें तथा एवार्ड के कारण प्राधिकरण को हुई रू 1,76,519.00 रूपये की [illegible] हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे।

3. बिन कार्ड योग कम किए जाने के कारण रू 4,555.00 रूपये के भण्डार का कम पाया जाना :-

अंकेक्षण में निम्न बिन कार्ड के योगों की जांच के उपरांत इन्हें कम दर्शाये जाने के कारण रू 4555.... रूपये के स्टाक की कमी पाई गई :-

मद	बिन कार्ड में 15.1.2001 को पाया	बिन कार्ड में 15.1.2001 को जो पाया होनी चाहिए थी।	अन्तर	टिप्पणी
1. टोर स्टील 8 एम.एम.	2.224 मी.टन	2.244 मी.टन	0.020 मि.टन कम	दिनांक 9.[illegible].2000 को पाया दर्शाने की गलती।
2. टोर स्टील 16 एम.एम.	3.079 मी.टन	4.074	0.240 मि.टन कम	दिनांक 7.11.00 को पाया दर्शाने की गलती।
3. पिक एक्स	शून्य	1	1 कम	1.12.2000 की गलती

0.260 मी.टन स्टील का मूल्य 17175 + 2% स्टोरेज 4555.00

। पिक एक्स का मूल्य अंकित नहीं।

उपरोक्त 4555.00 रूपये व पिक एक्स के मूल्य की वसूली की जावे।

अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

... ...

एन.ए.एस. [illegible] में प्रस्तुत न किए जाने के कारण जारी निर्गम आदेशों की पुष्टि न होना :-

निम्नलिखित इन्डेन्टों द्वारा जारी भण्डार आदेशों एन.ए.एस. [illegible] प्रस्तुत न करवाये जाने के कारण [illegible] में इनकी जाँच नहीं की जा सकी :-

इन्डेन्ट क्र.	आदान इन्डेन्टों की तिथि	मद	मात्रा	राशि	कार्य का नाम
10/2000 11.4.2000	17.4.2000	सीमेंट	90 बैग	6733/-	निर्माण कार्य बी.डी.ओ. के पीछे आवासीय क्वार्टर केन्द्र एक सी एच.सी. कोटा, 2000
17/2000 5/2000	6.5.2000	[illegible]	50 [illegible]	13107/-	आवासीय क्वार्टर केन्द्र एक व दो के [illegible] एवं [illegible] न होने [illegible] श्री एम.बी. कोटा [illegible] अभियन्ता।
18/2000 5/2000	5.5.2000	विद्युत	10 [illegible]	20298/-	—"—
26/2000 5/2000	17.5.2000	विद्युत	10 [illegible]	22605/-	-यथोपरि-
21/2000 19.5.2000	19.5.2000	विद्युत	20 [illegible]	15370	—प्रतीक— कम्प्यूटर सेन्टर के [illegible] निर्माण।
एक्सो[illegible]-34/ 2000 4.5.2000	4.5.2000	सीमेंट	25 बैग	3392/-	श्री एम.बी. कोटा, [illegible]

... ...

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा डी.आर. को सत्यापित न करना :-

निम्नलिखित प्रकरणों में डी.आर. से प्राप्त सीमेंट सामग्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि अनुचित है :-

डी.आर.सं.	दिनांक	मद	मात्रा	राशि	बिन कार्ड में दर्ज नहीं।
डीएस-2के/566	31.12.00	सीमेंट	400कि	47160	बी.एस/103-2218
डीएस/2के-567	1.1.2001	सीमेंट	400कि	47160	बी.एस./103-2219
डीएस/2के-568	2.1.2001	सीमेंट	800कि	94320.	बी.एस./103-2220
डीएस/2के-569	3.1.2001	सीमेंट	600कि	70740	बी.एस./103-2221

इन डी. आर को अब सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

(2) सक्षम अधिकारी (एक्जक्यूटिव इंजिनियर) की पूर्व स्वीकृति के बिना स्टाक जारी करना :-

इन्डेन्ट संख्या	दिनांक	सामान का विवरण	राशि	प्राप्तकर्ता का नाम
1.एसेस/2000-244	7.4.2000	सीमेंट 180कि	24419	श्री देवेन्द्र गुप्ता
2.डीएस-4	8.4.2000	-"-	24419	श्री एन.एल.गुप्ता एस.डी. सिरोही
3.डीएस-18	14.8.2000	सीमेंट 120कि	16249	-यथोपरि-
4.जी.सी.-1	9.10.2000	30 कि	4070	श्री ज्ञान चन्द।

4.

इन्डेन्टों के एम.ए.एस. रजिस्टर में माल की प्रविष्टियों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

(1) स्टाक में जारी सामान की एम.ए.एस. में प्रविष्टि न करके प्रस्तुत न करना :-

निम्नलिखित प्रविष्टियों जो कि एम.ए.एस. में की गई हैं ... ...

अभिलेख में एम.ए.एस. उपलब्ध न करवाए जाने के कारण उक्त जाँच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के स्थानान्तरण पर उनसे एम.ए.एस. रजिस्टर प्राप्त नहीं किया गया। उक्त सामान का उपभोग/लेखा अथवा सम्बन्धित अधिकारी से वसूली की जाने तथा अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें :-

	इन्डेन्ट सं0	जारी करने	मद	मात्रा	राशि	विवरण
1.	40/99 12.5.99	13.5.99	तारकोल ड्रम	6 ड्रम	10741.00	श्री एस.डी.कोठा, क0अ0, एम.ए.एस.कार्ड बी.डी.एस.के पीछे आवासीय क्षेत्रों में मेन व अन्य सड़क का रख रखाव।
2.	59/99 21.6.99	21.6.99	तारकोल	10ड्रम	17901.00	-यथोपरि-
3.	73/99 [illegible].8.99	10.8.99	सीमेंट	10 बैग	1357.00	-यथोपरि -
4.	83/99 30.8.99	1.9.99	सीमेंट	10बैग	1357.00	-यथोपरि-
5.	112/99 19.11.99	22.11.99	सीमेंट	10बैग	1357.00	-यथोपरि-
6.	108/99 6.11.99	17.11.99	तारकोल	10ड्रम	20298.00	-यथोपरि-
7.	123/2000 24.1.2000	28.1.2000	व्हील बैरो	2 नं0	2305.00	-यथोपरि-
8.	8/2000 9.3.2000	16.3.2000	सीमेंट	50 बैग	6783.00	श्री एस.डी. कोठा, कनिष्ठ अभियन्ता बी.डी.एस.कैम्प में पार्किंग स्थल नजदीक कम्प्यूटर केन्द्र।

... ...

(2) स्टाक से जारी सामान का विवरण ठेकेदार लेजर में न पाया जाना व उसकी वसूली न करना :-

(निर्माण खण्ड एक)

निम्नलिखित प्रकरणों में इन्डेन्टों से ठेकेदारों के लेजर में जो जारी सामग्री प्रविष्टियां सम्बन्धित खातावही में नहीं पाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप इन्डेन्टों द्वारा जारी किए गए सामान की राशि की वसूली ठेकेदार से नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट करें अथवा वसूली करके की गई कार्यवाही से आगामी आडिट में अवगत कराया जावे :-

इन्डेन्ट सं0	जारी करने की तिथि	मद	मात्रा	राशि	विवरण
5/99 15.6.99	18.6.99	सीमेंट	60 बेग	8140.00	निर्माण कार्य बी.डी. एस.के पीछे [illegible] पेज-2, [illegible] टैंक को दुरुस्त [illegible] ठेके-दार [illegible], वर्क आर्डर सं0 2 आफ 99-2000.
63/99 30.6.99	5.7.99	सीमेंट	20 बेग	2713.00	निर्माण कार्य बीडीएस पेज-एक, डिस्मेन्टल [illegible] आफ [illegible] ठेकेदार [illegible] वर्क आर्डर सं0 5 आफ 99-2000
121/2000 20.1.2000	22.1.2000	सीमेंट	30 बेग	4070.00	निर्माण कार्य बीडीएस के पीछे पेज एक - भवन सं0 3 व 4 सेक्टर-एक में [illegible] ठेकेदार [illegible] सं0 70/99-2000.
जे.सी.-1/[illegible] 11/2000	4.11.2000	सीमेंट	40 बेग	5426.00	[illegible] पेज-2 [illegible]

... ...

(3) प्राईस्ड स्टोर लेजर का रख रखाव न करना :-

लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा 7.2.32, 7.2.33, 7.2.34 के अनुसार खण्ड कार्यालय को लेखा (एकाउन्टस) शाखा में स्टाक की दैनिक प्रविष्टियों के लिए प्राईस्ड स्टोर लेजर का रख रखा किया जाना चाहिए था तथा पैरा 7.2.3 के अनुसार प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच के लिए तथा इन्डेन्टों की वेलुएशन के लिए प्राईस्ड वोकेबलरी आफ स्टोर रखी जानी चाहिए एवं पैरा 7.2.16 के अनुसार जिन कोडों से प्राईस्ड स्टोर लेजर में प्रविष्टियों का मिलान किया जाना चाहिए। लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राईस्ड स्टोर लेजर का निर्माण नहीं किया गया था और न ही अन्य अपेक्षित मिलान कार्य किसी स्तर पर किया गया। जिस के कारण स्पष्ट किए जायें। प्राईस्ड स्टोर लेजर व अन्य लेखाओं का रख रखाव सुनिश्चित करके आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें।

(4) समायोजन वाउचर संख्या 9 आफ 99/2000:-

उक्त वाउचर की जाँच करते समय स्टोर से विभिन्न प्रकार के सामान को जारी करने के लिए पूरे वर्ष एक ही दर रखी गई है। टोर स्टील एवं सी.जी.आई./पी.सी.आई. शीट के सम्बन्ध में अंकेक्षण में दिनांक 3.7.97 की अनुमोदित दरों से वर्ष 1999-2000 हेतु भी उपयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस अवधि में माल व ढुलाई इत्यादि की दरों में जो बदलाव आया है उसके जारी दर पर पड़ने वाले प्रभाव को नजर अंदाज कर दिया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त सीमेंट के सम्बन्ध में दिनांक 27.1.99 का पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 130/- रुपये प्रति बोरी की जारी दर अनुमोदित की गई है लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि स्टोरेज चार्ज बीच में ही लगा दी गई है अथवा अलग से लगाई जायेगी। पूरे वर्ष 1999-2000 में सीमेंट जारी करने की दर रु0 133.62 प्रति बोरी (135.60) स्टोरेज सहित रखी गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त स्टील फ्रेम डोर इत्यादि भी स्टोर से जारी किए गए परन्तु इनके सम्बन्ध में जारी करने की दर की अनुमोदित प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

... ...

204

15। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में राशि की गणना करते समय दशमलव के बाद के अंकों को राउंडिंग करने की प्रणाली प्रथा का प्रयोग न करते हुए गलत तरीके का प्रयोग किया गया है जिस कारण कार्य को जाने वाली राशि तथा स्टाक एवं स्टाक स्टोरेज को क्रेडिट की गई राशि सही नहीं है उदाहरण के रूप में निम्न आंकड़े प्रस्तुत हैं भविष्य में उचित लेखांकन सुनिश्चित करें :-

[illegible] संख्या	मद	मात्रा	दर	जमा की गई	जमा की जानी थी	अन्तर
[illegible]/60, [illegible].99	पी.जी. आई. शीट	0.495 मी.टन	33660	11661	11662	रु 1.00 कम जमा
[illegible].आर.टी.3 [illegible].99	टोर स्टील 16 एम.एम	1.981 मी.टन	[illegible]175	34023	34024	—"—
[illegible]/93-94 [illegible]4/99	टोर स्टील 25 एम.एम	2.941	17175	50511	50512	—"—
[illegible]/99 [illegible].99	पीजीआई व	1.869	33660	62910	62911	रु 2/- कम जमा
	पीजीआई शीट	0.410	33660	13800	13801	
[illegible]/98-[illegible] [illegible].99	टोर स्टील 8 एम.एम	2.942	17175	50528	50529	रु 1/- कम जमा ।
[illegible] दिनांक 20.6.99	टोर स्टील					
	8 एम.एम	0.411	17175	7058	7059	
	10 एम.एम	0.478	17175	8209	8210	रु 3/- कम जमा ।
	12 एम.एम	0.404	17175	6938	6939	
	20 एम.एम	0.442	17175	7591	7591	
[illegible]-78 11.5.99	टोर स्टील					
	10 एम.एम	0.940	17175	16144	16145	रु 2/- रुपये कम जमा ।
	स्टोरेज		2 %	322	323	

... ...

265

6) निम्नलिखित त्रुटियां [illegible] की जांच के कारण कार्यवाही करने हेतु उपेक्षित करके आगामी लेखा परीक्षा में अनुपालनार्थ प्रस्तुत किया जावे:-

वाउचर क्र.	मद	मात्रा	दर	राशि दी गई	राशि दी जानी थी	अन्तर
20/99 9.3.99	जी.पी.आई. शीट	1.869	33660	62910	62911	
	जी.पी.आई. शीट	0.410	33660	13300	13801	
				76770	76712	
		स्टोरेज 2 %		1535	1534	
				78305	78246	रु 59/- अधिक दिए गए।
ज.के.एच.डी.-11 20.5.99	सीमेंट	150 बैग	136	20400		
			133		19950	450
		2% स्टोरेज		408	399	+ 9
				20808	20349	459 अधिक दिए गए।
एच.जी.के.9 8.9.99	सीमेंट	180 बैग	133	77940	23940	54000
		स्टोरेज 2%		1559	479	1080
				79499	24419	55080/-रु अधिक दिए गए।
एच.ई.-आर. डी.ओ. 3-11-99	टोर स्टील 8 एमएम	1 मी.टन	17175	17175	17175	
	16 एमएम	1 -"-	17175	17175	17175	कार्य के
			34350	34350	34350	687 तथा
		2% स्टोरेज		687	687	स्टोरेज के 14/- रुपये
				35037	35037	अधिक भुगतान
		2 % स्टोरेज		701	-	किए गए।
				35738	35037	

... ...

17। निम्नलिखित प्रकरणों में गलत कार्य को डेबिट कर दिया गया :-

प्रकरण संख्या	मद	इन्डेक्स 2।121	जिस कार्य को डेबिट किया गया	जिस कार्य को डेबिट किया जाना था
[illegible]/99 19.5.99	सीमेंट	3392	रिहायशी क्वार्टर बीबीएस फेस-दो आफ गार्ड [illegible] [illegible] रिटेनिंग वाल व [illegible]	रिहायशी क्वार्टर बीबीएस फेस-एस.आर.बी. को [illegible] -6 [illegible] टेक-1 [illegible] [illegible] 4/99-2000 [illegible] [illegible]
बि.के.-10 21.5.99	सीमेन्ट	1432	रिहायशी क्वार्टर न्यू शिमला फेस-3	रिहायशी क्वार्टर, न्यू शिमला फेस-III, [illegible] 3
बि.के.[illegible]-1 19.7.99	सीमेंट	5733	रिहायशी क्वार्टर न्यू शिमला, फेस-3	-यथोपरि-
[illegible].5	सीमेंट	24419	-यथोपरि- [illegible]	रिहायशी क्वार्टर, 12 नं. [illegible] [illegible] 25 तथा 26 [illegible]-2।
बि.पी.-एम. [illegible]-103 [illegible].2000	सीमेंट	24419	रिहायशी क्वार्टर बी.बी.एस.के [illegible] फेस-2 [illegible]	रिहायशी क्वार्टर बी.बी.एस.के [illegible] फेस-3 [illegible] 17 [illegible] 97/95

उक्त गलत डेबिटों को तुरंत ठीक करके सम्बन्धित [illegible] आगामी [illegible] में प्रस्तुत करें।

... .

Debit side :-

Name of work	Amt. debited	Required to be debited.
Constt. Division No.I H.P.H.V.P., Kasumpti, Shimla-9		
i. C/o Residential complex below BCS Phase-II	2,82,780-00	2,64,690.00
ii. C/o Residential complex below BCS Phase-III	1,03,94,927.00	1,03,56,823.00
iii. C/o Commercial complex of KZC Kasumpti.	4,77,947-00	4,77,951.00
iv. c/o SHS at KZC Vikasnagar	4,817.00	4,817.00
v. C/o R.C. near village Singla at Rampur.	2,12,599.00	2,12,601.00
	1,13,73,070.00	1,13,16,882.00
Design Division H.P.H.V.P., Kasumpti, Shimla-9:		
i. C/o Commercial complex at KZC Kasumpti.	12,96,574.00	12,96,588.00
ii. C/o SHS at KZC Vikasnagar	1,83,379.00	1,83,379.00
	14,79,953.00	14,79,967.00
Construction Division No.II HPHVP Kasumpti.		
1. C/o Residential Complex below BCS Phase-I		
I. AR & M.O. to main Road & lanes	92,465.00	92,469.00
II. Internal sewerage system	814.00	814.00
III. Restoration of rain damages House No. 24	6,783.00	6,783.00
IV. Parking near community centre	6,783.00	6,783.00
V. R.C. below BCS R.C.C. slab near Block 6, Sector-II lanel to main road	-	3,392.00
2. C/o Residential complex below BCS Phase.II :-		
I. C/o manholes & lying of sewerage Plot No. 450 to 458	6,783.00	6,783.00
II. Internal Sewerage	30,183.00	30,184
III. Off side services c/o R/wall & B/wall	15,600.00	12,209.00
		... ...

...(2)...

IV.	Development of type 'B' plots No.419/2	1,70,665.00	1,70,671.00
V.	C/o c type flats 8Nos.	7,28,714.00	7,28,718.00
VI.	Development of site levelling of plots c/o 3mtr.	7,170.00	7,178.00

C/o Residential complex below BCS Phase-III :-

I.	C/o 6 Nos. ...303-6	12,88,353.00	12,88,358.00
II.	C/o 4 Nos. ...303-5	1,38,374.00	1,38,374.00
III.	C/o 2 Nos. ...303-7	7,34,032.00	7,33,978.00
IV.	C/o 10 Nos. Block - 24	3,54,329.00	3,54,331.00
V.	C/o type C Block 28	2,05,492.00	2,05,492.00
VI.	C/o 12 Nos Block 25 & 26	4,68,641.00	4,68,646.00
VII.	C/o electric sub station near Block No.12	1,06,50_.00	1,06,511.00
		43,61,697.00	43,61,674.00
	Grand Total :	1,72,14,780	1,71,58,523.

Credit side :-

I.	Stock suspense	1,68,77,132.00	1,68,22,027
II.	Stock Storage	3,37,588.00	3,36,996
		1,72,14,720.00	1,71,59,023

उपरोक्त अनुसार का उचित समायोजन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे ।

.. ..

(9) रोकड़ बही वर्ष 1999-2000 की जाँच करने पर यह पाया गया कि अधिकतर पृष्ठों पर योगों को पेन से नहीं लिखा गया था। रोकड़ बही के मासिक योगों के अतिरिक्त दैनिक योग भी पक्की स्याही से अंकित नहीं किये गये। इसके ~~अतिरिक्त~~ अतिरिक्त कई जगह योगों में ओवर राईटिंग की गई थी जो कि सत्यापित नहीं थी जिसे अब सत्यापित करवाकर आगामी ऑडिट में प्रस्तुत किया जाये।

(10) अधिकतर बिल वाउचरों पर इन्डेन्ट की तिथि तो लिखी जाती है लेकिन स्टोर से सामान जारी करने की तिथि नहीं लिखी गई है जो कि अनुचित है। सामान जारी करने की तिथि अंकित करें तथा भविष्य में इसकी सुनिश्चितता करें।

(11) इन्डेन्ट संख्या ए.डे.एस./2000-284 माह 1/2000 द्वारा 10 एम.एम. तथा 16 एम.एम. स्टील कुल 8775.00 रुपये की श्री सुनील कुमार ठेकेदार को जारी की गई है जिसे इस बात उल्लेखित करने के उपरान्त रद्द कर दिया गया/है था परन्तु उक्त इन्डेन्ट का सामान जारी कर दिया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

<u>समायोजन वाउचर संख्या 7 वर्ष 99-2000 राशि 95,441.00 रुपये :-</u>

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा वर्ष 1998-99 के समय तक एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य को हस्तान्तरित किए गए सामान से सम्बन्धित लेखा का समायोजन विभिन्न लेखों की राशियों को डेबिट व क्रेडिट की गई परन्तु हस्तान्तरित किए गए सामान की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित निर्माण कार्य के एम.ए.एस. में नहीं दिखाई गई। सम्बन्धित एम.ए.एस. में जमा तथा जारी से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ दिखाई जावे अन्यथा जारी किये गए सामान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से रोकड़ जमा करवाई जावे :-

... .

क्रेडिट किया गया निर्माण कार्य	क्रेडिट किया गया निर्माण कार्य	सामान की मात्रा व विवरण	स्टोरेज चार्जेज	कुल मूल्य
आफिसर्स काम्पलेक्स के जेड सी एच कार्य प्रोवाईडिंग वायर क्रेट आफ वैलिंग एपरोच रोड आर.डी. 095 से 119 श्री एस.एन.शर्मा, स0अभियन्ता	आवासीय परिसर बी.सी.एस.फेज-1 सबकार्य प्रोवाईडिंग प्रोटेक्सन वर्क ड्रेन रोड आर.डी0 0600 से 0/640 एम.ए.एस. रजिस्टर में प्रविष्टि देखी [illegible] गई।	395 वर्ग मी. वायर क्रेट	830	28980/-
-यथोपरि-	-यथोपरि-	360वर्ग मी. वायरक्रेट	756/-	25956/-
-यथोपरि-	-यथोपरि-	120वर्ग मी0 वायरक्रेट	252/-	8652/-
पैटलिंग टार्वारिंग एण्ड ग्रास हैलल वर्क आन चैनल रोड (श्री एम.एल.चौहान कनिष्ठ अभियन्ता)	अनुअल रिपेयर एण्ड मेन्टीनेंस आफ चैनरोड, फेज-I (एम.ए.एस. देखा गया)	14 कि0मी0 फायर वुड	280/-	3192/-
		योग :	2118/-	66280/-

इसके अतिरिक्तनिम्न वर्णित प्रकरणों में सामान एम.ए.एस. रजिस्टरों से क्रेडिट/जारी करते हुए निर्माण को राशि क्रेडिट की गई दर्शाई गई परन्तु सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए जिस कारण जारी किए गए सामान की पुष्टि सम्बन्धित एम.ए.एस. में नहीं की जा सकी। एम.ए.एस. में आवश्यक प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण में दिखाई जायें। ... .

~~क्रेडिट किया गया निर्माण कार्य~~ ~~क्रेडिट किया गया निर्माण कार्य~~ ~~सामान की मात्रा व विवरण~~ ~~स्टोरेज~~ ~~कुल मूल्य~~

714 पृष्ठ 28 242.56 निर्माण कार्य पर पुष्टि

225.03 निर्माण कार्य पर पुष्टि

710 पृष्ठ 25

2

डेबिट किया गया निर्माण कार्य का नाम।	सामान की मात्रा व विवरण	राशि	टिप्पणी
सामुदायिक परिसर डी-सी.एस. ब्लाक नं0 58 और 60 का रास्ता (श्री एस.सी. कौशिक क0अभियन्ता)	2 बोरी सीमेंट	266.00	एम.ए.एस. रजिस्टर नहीं दिखाया गया।
-यथोपरि- ... मैन्टोल व लेक्स आफ... प्लाट 267 से 279 (श्री एस.सी.कौशिक कनिष्ठ अभियन्ता)	100 बोरी सीमेंट	13600.00	एम.ए.एस. रजिस्टर नहीं दिखाया गया।

डिविजन नं0-4

-यथोपरि- ए.आर. व एम.ओ. ... रोड ... लेन ... (श्री एस.सी.कौशिक)	4 ट्रक विटुमन	7560.00	एम.ए.एस. रजिस्टर भी दिखाया नहीं गया।
	योग :	21426.00	

28. (1) समायोजन वाउचर संख्या 12 वर्ष 99-2000 राशि 1,28,620.00रु:

उपरोक्त वर्णित समायोजन वाउचर द्वारा स्टाक लेखा को 1,28,620.00 रुपये का डेबिट करते हुए निमायत प्रोप्राइटो इन्स्टीट्यूट कारपोरेशन शिमला-2 को 1,28,620.00 रुपये का क्रेडिट किया गया। उक्त वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को यह राशि उनके प्रोफॉर्मा बिल संख्या 16515 दिनांक 6.10.99 व 15836 दिनांक 19.11.99 के द्वारा अग्रिम के रूप में दी गई थी उक्त फर्म से सामान जी.आर.संख्या: 422 दिनांक 6.1.99 व 439 दिनांक 27.1.2000 से प्राप्त होने पर निर्माण मण्डल द्वारा बिना वास्तविक बिल प्राप्त किये ही आवश्यक समायोजन करते हुए उक्त फर्म को 1,28,620.00 रुपये का क्रेडिट किया गया है। बिना बिल को प्राप्त करे इस प्रकार से समायोजन किया जाना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी:

...

714 पृष्ठ 28	242.56	... कोर चार प्रति...
71...	225.03	... कोर चार प्रति...

तथा वास्तविक बिल के बिना भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता किया और स्थिति स्पष्ट करते हुए की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये ।

(2) समायोजन वाउचर सं0 13 वर्ष 1999-2000 राशि 19,97,481.00रु:-

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा जी.आर.सं0 445,446 449 व 451 द्वारा मै0 स्टील अथारटी आफ इण्डिया चण्डीगढ़ से उनके बिल संख्या 241 से 245 द्वारा सप्लाई की गई स्टील का समायोजन स्टाक लेखा को 19,97,481.00 रुपये की राशि डैबिट तथा उक्त फर्म को इतनी ही राशि क्रेडिट किया गया। उक्त वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि सही गणना अनुसार कुल 19,97,441.00 रुपये की राशि का समायोजन उपरोक्त वर्णित लेखों को किया जाना अपेक्षित था । अतः कुल 40.00 रुपये की अधिक चार्ज गई राशि हेतु स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक समायोजन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये ।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि उक्त फर्म के उपरोक्त वर्णित बिलों को समायोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित भी नहीं किया गया था तथा न ही यह कि उक्त समायोजन वाउचर के साथ संलग्न ही थे। बिलों को पारित किए ही समायोजन वाउचर तैयार किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व बिलों को सक्षम प्राधिकारी से पारित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये ।

(3) समायोजन वाउचर सं04 वर्ष 2000-2001 राशि 3,60,082.00रुपये:-

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा इस डिवीजन कुल्लू के स्टोर से वर्ष 99-2000 में विभिन्न इन्डैन्ट से जारी सामान का समायोजन चार्जिंग स्टाक लेखा व स्टोरेज सैन्टर कुल्लू को 3,60,082.00 रुपये का डैबिट व क्रेडिट किया गया लेखा को क्रमशः 353018.00 रुपये व 7064.00 रुपये का पुष्टि हेतु उपलब्ध करवाई गई था। उक्त निर्धारित जारी दरें अंकेक्षण में पुष्टि हेतु की जांच नहीं की जा सकी परन्तु सीमेंट के जिस कारण लगाई गई दरों की जांच नहीं की जा सकी परन्तु सीमेंट के खरीद पर मूल्य और ढुलाई को जोड़ कर यह दर 139.00 रुपये बनती थी जबकि यह उप मण्डल द्वारा 141.00 रुपये की दर से सीमेंट निर्माण कार्य को डैबिट करके निम्न विवरणानुसार निकाली गई राशि स्टाक व स्टोरेज ... ..

	242.56	विशेष क्वोर भार पुष्टि
714 पृष्ठ 28	225.03	अतिरिक्त क्वोर भार पुष्टि
716 पृष्ठ 23	[illegible] मी. टन	

... ...

67 215

चार्जिज को डाली नहीं थी इस प्रकार स्टोर सरफेस लेखा को 6774.00 रुपये की राशि अधिक क्रेडिट व स्टाक स्टोरेज लेखा को 136.00 रुपये की राशि अधिक क्रेडिट की नहीं थी जिसके बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार करके सुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

[illegible] नं./ [illegible]	सीमेंट बैग की संख्या ।	स्टाक सरफेस को क्रेडिट की गई राशि	स्टाक स्टोरेज को क्रेडिट राशि	राशि जो डाली जानी अपेक्षित थी ।	
				स्टाक सरफेस	स्टाक स्टोरेज
[illegible]4/4/2000	100	14100.00	282.00	13800.00	276.00
[illegible]6/4/2000	178	25098.00	502.00	24564.00	491.00
[illegible]7/4/2000	180	25380	508.00	24840.00	497.00
[illegible]8/4/2000	180	25380.00	506.00	24840.00	497.00
[illegible]9/4/2000	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
260		50760.00	1015.00	49680.00	994.00
261	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
262	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
263	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
264	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
265	180	25380.00	508.00	24840.00	497.00
266	180	25840.00	508.00	24840.00	497.00
योग :	2258	3,18,378.00	6368.00	3,11,604.00	6234.0

स्टाक सरफेस को अधिक क्रेडिट की गई राशि 318378-311604.00 ==== 6774.00 रुपये

स्टोर चार्जिज को अधिक क्रेडिट की गई राशि 6368 - 6234 ====== 134.00 रुपये

योग : 6908.00

... .

... ...

68 214

14) समायोजन वाउचर संख्या 14 वर्ष 99-2000 राशि 10,84,681.00 रुपये :-

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा मै0 स्टेट स्माल इण्ड0 व एक्सपोर्ट लिमिटेड शिमला से उनके बिल संख्या 9932, 9941, 9957, 9987 व 10005 क्रमशः दिनांक 17.6.99, 29.7.99, 7.9.99, 8.12.99 व 16.2.2000 द्वारा सप्लाई की गई सी.जी.आई. व पी.जी.आई. शीट्स का समायोजन लेखा पारित करते हुए उक्त कारपोरेशन को 10,84,681.00 रुपय का क्रेडिट दिया गया परन्तु उक्त बिलों की जांच करने पर पाया गया कि प्राप्त बिलों को बिना पारित किए ही समायोजन वाउचर पास कर दिया गया था प्रप्त बिलों को बिना सत्यापित/पारित किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम प्राधिकारी से पारित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये ।

29. सीमेंट आपूर्ति में रु0 101505.00 रुपये की हानि बारे :-

स्टाक से सम्बन्धित अभिलेख वर्ष 1998-99 की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण को सीमेंट आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा मै0 अम्बुजा सीमेंट फैक्टरी दाडला घाट तथा मै0 ए.सी.सी. बरमाना द्वारा की जा रही थी सीमेंट का बैग अम्बुजा फैक्टरी से 116.78 रुपये तथा दिनांक 29.10.99 के पश्चात 117.90 रुपये तथा बरमाना फैक्टरी का 131.42 रुपये तथा दिनांक 29.10.99 से 133.50 रुपये शिमला स्टोर तक पड रही थी। इस प्रकार ए.सी.सी. बरमाना का सीमेंट बैग 14.64 (131.42-116.78) व 29.10.99 के पश्चात 15.60 रुपये (133.50 - 117.90) महंगा पड रहा था इस कम दर का कारण अम्बुजा में बिक्री कर 8 प्रतिशत की छूट तथा कम दूरी के कारण सीमेंट किराया कम होने के कारण से थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नविवरणानुसार सीमेंट ए.सी.सी. बरमाना से खरीदा गया था सीमेंट अम्बुजा सीमेंट फैक्टरी की बजाय ए.सी.सी. बरमाना से खरीदे जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को 101505.00 रुपये की हानि हुई है जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेवारी निर्धारित करके राशि वसूल करने के उपरान्त जमा करवाई जाये । ... ...

714 पुस्ट 28 242.56 विनोद क्लोर बार पुलिस
718 [illegible] 225.03 प्रदीप क्लोर बार [illegible]

जी.आर. संख्या	दिनांक	सीमेंट प्रय बैग की सं0	अधिक भुगतान प्रति बैग	कुल अधिक भुगतान
343	5.5.99	180	14.64	2635.20
399	9.9.99	180	14.64	2635.20
400	10.9.99	1260	14.64	18446.40
403	11.9.99	900	14.64	13176.00
404	13.9.99	180	14.64	2635.20
409	8.10.99	180	14.64	2635.20
410	23.10.99	1080	14.64	15811.20
412	24.10.99	360	14.64	5270.40
413	25.10.99	1079	14.64	15796.56
442	4.2.2000	1440	15.60	22464.00
			योग :	1,01,505.36 रुपये

10. (1) समायोजन वाउचर सं0 8 वर्ष 2000-2001 राशि 2,23,755.00 रुपये:-

उपरोक्त समायोजन वाउचर के द्वारा हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड डिवीजन नं 2 से 2,23,755.00 रुपये की भण्डार सामग्री प्राप्त करने हेतु समायोजन स्टाक लेखा को कुल 217238.00 रुपये तथा स्टाक स्टोरेज लेखा को कुल 6517.00 रुपये डैबिट करके किया गया जबकि कुल 6517.00 रुपये की राशि स्टाक स्टोरेज से डैबिट न करके स्टाक लेखा को ही डैबिट की जानी अपेक्षित थी अतः लेखाकरण किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(2) समायोजन वाउचर संख्या 3 वर्ष 1999-2000 राशि 65,28,051.00 रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन से प्राप्त बिल दिनांक 12.10.99 व 3.8.99 का समायोजन लेखा पारित किया गया। उक्त समायोजन में ड्राफ्ट संख्या 528448 दिनांक 27.9.99 द्वारा 1444 मीट्रिक टन सीमेंट सप्लाई हेतु किए गए भुगतान का लेखा भी सम्मिलित था जिसकी जांच करने पर पाया गया कि स्टोर में जी.आर. संख्या: 409, 410, 412, 413 से प्राप्ति के आधार पर 134.95 ... ...

714 पृष्ठ 28	242.56	मिलोय क्वाटर चार पुलिस।
716 पृष्ठ 23	225.03	प्रवेश क्वाटर चार पुलिस।

70

अधिक वसूली की राशि 3,54,704-00 रुपये कार्यकारी अभियंता हेतु... अग्रिम समायोजन ... अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

प्राधिकरण निर्माण मण्डल-II (वर्तमान आवास बोर्ड मण्डल-एवं)

राशि 15,31,695.00 रुपये की कम वसूली :-

अधिशाषी अभियन्ता जल आपूर्ति एवं सिवरेज शिमला-9 द्वारा न्यू शिमला में सिवरेज लाईन बिछाने के कार्य में 6890 वर्ग मीटर हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण की सड़क की खुदाई की गई थी। अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 455-57 दिनांक 19.3.2000 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जल आपूर्ति एवं सिवरेज न्यू शिमला को रिस्टोरेशन चार्जिज की राशि रु0 32,14,874.00 रुपये जमा करने हेतु कहा गया था इसके पश्चात अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-II के पत्र संख्या एच.पी.एस.डी.पी.-डब्ल्यू.टी-(डी-II) डीडी-एस्टीमेट/2000-06 दिनांक 28.4.2000 द्वारा उपरोक्त राशि में विभिन्न की संशोधित दरों को शामिल करके अधिशाषी अभियन्ता जल आपूर्ति एवं सिवरेज न्यू शिमला को रिस्टोरेशन चार्जिज की राशि 34,60,619.00 रुपये जमा करने हेतु कहा गया था।

अधिशाषी अभियन्ता जल आपूर्ति एवं सिवरेज शिमला-9 ने उपरोक्त रिस्टोरेशन चार्जिज के विरुद्ध रसीद संख्या 78369 दिनांक 25.3.2000 द्वारा मात्र 19,28,924.00 रुपये ही जमा किये हैं बकाया राशि 15,31,695.00 रुपये (3460619-1928924) की वसूली अभी तक अधिशाषी अभियन्ता जल आपूर्ति एवं सिवरेज शिमला-9 से नहीं की गई है न ही उपरोक्त राशि की वसूली हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस प्रयास किये गये हैं। अतः उपरोक्त राशि को प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम वसूल की गई राशि 15,31,695.00 रुपये की अतिशीघ्र वसूली करके अनुपालना दे तथा 19,28,924.00 रुपये की विभाग को अवगत करवाया जाये इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की आय प्राप्त राशि को विविध आय प्राप्ति शीर्ष में जमा करके प्राधिकरण की आय ... गई थी ... की मरम्मत पर किए गए व्यय को प्राधिकरण का आवत करती ... लिमिट करके कोठों/प्लाटों की कुल लागत को घटाया ... गया था। अतः उपरोक्त प्राप्ति के विरुद्ध किये गये व्यय को प्राप्ति से समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

... ...

714 पु 28   242.56   225.33   वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा ... / मुख्य सलाहकार एवं लेखा ...

71   212

... ...

कार्य का नाम : आवासीय काम्पलैक्स वी.सी.एस.फेस-II में ... टाईप सी फ्लैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति एवं स्वच्छ विकास सहित करना ।

संविदाकार का नाम : गरीश गुप्ता ।

अनुबन्ध संख्या : 5, वर्ष 1999-2000 ।

वाउचर संख्या : 22, माह 9/99 रु0 97,521.00

वाउचर संख्या : 18, माह 3/2000 रु0 1,64,819.00 रुपये :-

उपरोक्त वाउचरों द्वारा संविदाकार को कार्य के प्रथम व चौथे चालित बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए भुगतान किया गया था भुगतान की जाँच करने पर रु0 29,564.00 रुपये के अनुचित भुगतान के मामले में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

(क) उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री गरीश गुप्ता संविदाकार को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या: एच.पी.एन.बी.पी.-(डी-II) अनुबंध-7/99-1325-22 दिनांक 8.6.99 द्वारा किया गया था। कार्य के प्रथम चालित बिल के दौरान किये गये भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि मापपुस्तिका संख्या 591 पृष्ठ 88 पर प्रथम चालित बिल में कार्य आरम्भ की तिथि 29.12.98 दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त प्रथम चालित बिल की मद संख्या: 7/2 परिशिष्ट-II की कार्य मात्रा 717-72 घन मीटर का भुगतान 40.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया था की रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 581 पृष्ठ 63 व 64 पर की गई थी जिनमें कार्य करने की/ रिकार्ड प्रविष्टियाँ करने की तिथि 29.12.98 दर्शाई गई थी ।

अतः उपरोक्त मामले में कार्य का आवंटन 8.6.99 को किया गया था जबकि संविदाकार को 29.12.98 को किये गये कार्य के लिए भुगतान किया जाता था। संविदाकार को कार्य आवंटन से पूर्व किये गये कार्य के लिए किये गये भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता जिसकी उचित जाँच की जाये तथा किये अनुचित भुगतान रु0 28709.00 रुपये की वसूली करके अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये ।

.. ...

	242.56	द्वितीय क्वार्टर चार यूनिट ।
714 पृष्ठ 28	225.03	प्रथम क्वार्टर चार यूनिट ।
		टोटल

चौथे चालू बिल की मद संख्या: 4/4 की [illegible] [illegible]
[illegible]
मापक दर अक्टूबर 1997 की मद संख्या 9.31 [बी] द्वारा वर्णित कार्य की
कुल मात्रा 19.85 घन मीटर का भुगतान 1902.00 रुपये प्रतिघन मीटर
की दर से मापन पुस्तिका संख्या 702 पृष्ठ 65 पर किया गया था। उपरोक्त
कार्य मात्रा में शामिल 0.46 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां
मापन पुस्तिका संख्या 728 पृष्ठ 100 से लाई गई दर्शाई गई थी मापन पुस्तिका
संख्या 728 पृष्ठ 100 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस पृष्ठ पर आर
सी.सी. 1:2:4 से सम्बन्धित किये गये कार्य की कोई गणना नहीं की गई थी
अतः उपरोक्त 0.46 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की पुष्टि
आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये अन्यथा 0.46 घन मीटर कार्य मात्रा को 1902.
रुपये प्रति घन मीटर से राशि 875.00 रुपये की वसूली करके अनुपालना
प्रस्तुत की जाये।

कार्य का नाम : आवासीय कम्पलेक्स सी.सी.एस. के पीछे सेक्टर
न्यू सिटी में 2 नं० टाईप फ्लेट और 8 नं० टाईप फ्लेट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति
एवं स्वच्छ निकास व्यवस्था करना।

अनुबन्ध संख्या : 30, वर्ष 1997-98।

ठेकेदार का नाम : श्री देवेन्द्र ठाकुर।

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री देवेन्द्र ठाकुर ठेकेदार को
पत्र संख्या: एफ.पी.एन.सी.पी.[डी-2]-अकाउन्ट-7/98-493-505, दिनांक
24.2.98 द्वारा सिविल कार्य टेन्डर की राशि के ऊपर 143.37 प्रतिशत
तथा आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन का कार्य टेन्डर की राशि
के ऊपर 103.83 प्रतिशत पर आवंटित किया गया था उपरोक्त कार्य के
[illegible] चालू बिल तक किस्तवार जांच करने पर राशि 20339.00 रुपये की राशि
के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

[क] प्रथम चालू बिल की मद संख्या 5/6 द्वारा वर्णित कार्य
आर सी.सी. 1:2:4 से सम्बन्धित फाउंडेशन एवं प्लिंथ में किए गए कार्य
की कुल मात्रा 17.39 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 685
पृष्ठ 10 पर 1800.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया था।
उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 3.24 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड

... ...

	242.56	[illegible] कालेर बार पुष्टि
714 पृष्ठ 28	225.33	[illegible] कालेर बार पुष्टि

प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 685 पृष्ठ 4 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 9.01 घन मीटर के स्थान पर 9.24 घन मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 0.23 घन मीटर (9.24 घन मी.-9.01 घन मी.) के लिए 1800.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 414.00 रुपये का अधिकतम भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ख) प्रथम चालू बिल की मद संख्या 6/10 द्वारा वर्णित कार्य प्रावाइडिंग आर.सी.सी. स्टील रिइन्फोर्समेन्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 1640.11 किलो ग्राम का भुगतान 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 685 पृष्ठ 10 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 686 पृष्ठ 7 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण 16 एम.एम. स्टील की 10 मीटर कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 15.80 किलो ग्राम (10 मीटर x 1.58 किलो ग्राम) कार्य मात्रा के लिए 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 300.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(ग) दूसरे चालू बिल की मद संख्या 5/6 द्वारा वर्णित कार्य आर.सी.सी. 1:2:4 से सम्बन्धित फाउंडेशन फुटिंग में किये गये कार्य की कुल मात्रा 33.276 घन मीटर का भुगतान 1800.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 686 पृष्ठ 23 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 3.126 घन मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 0.496 घन मीटर (3.126 घन मी. - 2.63 घन मी.) कार्य मात्रा के लिए 1800.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 893.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(घ) दूसरे चालू बिल की मद संख्या 8/10 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइडिंग टोर स्टील रिइन्फोर्समेन्ट से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 9553.69 किलो ग्राम का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 686 पृष्ठ 24 पर 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल दूसरे चालू बिल के दौरान किये गये कार्य की मात्रा 8113.58

714 पृष्ठ 28	242.56	द्वितीय कतोर बार पुष्टि।
716 पृष्ठ 23	225.03	तृतीय कतोर बार पुष्टि।

किलो ग्राम की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 636 पृष्ठ 19 पर अंकित की गई थी उक्त कार्य मात्रा ~~की रिकार्ड प्रविष्टियों का~~ में वर्णित 8 एमएम स्टील की कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 636 पृष्ठ 13 पर 8 एमएम स्टील की कार्य मात्रा गणना में गलती के कारण 1786.26 मीटर के स्थान पर 1844.82 मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 58.56 मीटर (1844.82 मी.-1786.26) कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 23.13 कि0 ग्राम (58.56 मीटर x 0.395 कि.ग्रा. प्रति मीटर) कार्य मात्रा के लिए 19/- रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 439.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(16) तीसरे चालू बिल की मद संख्या 3/3 (डी) द्वारा वर्णित कार्य फ्लोर वर्क बीम कन्टीन्यूअस से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 400.18 वर्ग मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 685 पृष्ठ 42 पर 50.00 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 93.89 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 636 पृष्ठ 31 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि द्वितीय फ्लोर लेवल पर कुछ बीम की कार्य मात्रा निम्न प्रकार से दर्ज व भुगतान की गई थी :-

क्रम बीम		
ए2 से बी2		= 13.72 वर्ग मीटर
ए3 से बी3	साईड 5x2x4.90x0.28	= 11.27 वर्ग मीटर
ए4 से बी4	बाटम 5x2x4.90x0.23	
ए5 से बी5	योग :	24.99 वर्ग मीटर
ए6 से बी6		

उपरोक्त मापों में क्रम बीम बाटम की कार्य मात्रा की गणना करते समय कार्य मात्रा को 2 से गुणा किया गया था जबकि क्रम बीम की/कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी :-

क्रम बीम		
ए2 से बी2		= 13.72 वर्ग मीटर
ए3 से बी3	साईड 5x2x4.90x0.28	= 5.64 वर्ग मीटर
ए4 से बी4	बाटम 5x1x4.90x0.23	योग: 19.36 वर्ग मीटर
ए5 से बी5		
ए6 से बी6		

714 पृष्ठ 28 242.56 द्वितीय फ्लोर भार पृष्ठ।
225.03 तृतीय फ्लोर भार पृष्ठ।
716 पृष्ठ 25 ... वर्ग मीटर

उपरोक्त मामले में 19.36 वर्ग मीटर के स्थान पर 24.99 वर्ग मीटर कार्य मात्रा का भुगतान करने के कारण ठेकेदार 5.63 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 50.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 282.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

सातवें चालू बिल की मद संख्या 3/3 (डी) द्वारा अर्थिंग कार्य (ग) जोर्ड वर्क कटान व फिलर पोस्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 652.03 वर्ग मीटर का भुगतान 50.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 714 पृष्ठ 34 पर लिया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तिका सं0/पृष्ठ	कार्य मात्रा	विवरण	ब्लाक
688/15	49.20	बेसमेन्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर	ब्लाक 20ए
685/18	51.24	ग्राउंड फ्लोर से प्रथम फ्लोर	ब्लाक 20ए
685/20	51.24	प्रथम फ्लोर से द्वितीय फ्लोर	ब्लाक 20ए
686/30	51.24	द्वितीय फ्लोर से तृतीय फ्लोर	20 ए
686/32	51.24	तृतीय फ्लोर से रूफ बीम	20 ए
685/56	51.24	बेसमेन्ट से ग्राउंड फ्लोर	ब्लाक 18 बी
685/57	24.55	शेष	ब्लाक 20ए
686/71	80.52	ग्राउंड फ्लोर से प्रथम फ्लोर	ब्लाक 18 बी
685/88	80.52	प्रथम फ्लोर से द्वितीय फ्लोर	ब्लाक 18 बी
709/93	80.52	द्वितीय फ्लोर से तृतीय फ्लोर	18 बी
686/99	80.52	तृतीय फ्लोर से रूफ बीम	18बी
	652.03 वर्ग मीटर		

उपरोक्त कटान व फिलर पोस्ट में किये गये जोर्ड वर्क की कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की गई थी :-

... ...

714 पृष्ठ 28 — 242.56 — द्वितीय फ्लोर वार प्रविष्टि

285.03 — तृतीय फ्लोर वार प्रविष्टि

ब्लाक नं0 20 ए

बेसमेन्ट से ग्राउण्ड फ्लोर तक :-

कालम ए1 से ए7 बी 1 से बी7	14 नं.	14x2(.23+.33)x2.83 =	49.20 वर्ग मी.
ग्राउण्ड फ्लोर से प्रथम फ्लोर प्रथम फ्लोर से द्वितीय फ्लोर द्वितीय फ्लोर से तृतीय फ्लोर तृतीय फ्लोर से रूफ लेवल तक (14 कालम प्रति फ्लोर)		4x14x2(.23+.33)x3	204.96 वर्ग मी.

ब्लाक नं0 8 बी :-

बेसमेन्ट फ्लोर से ग्राउण्ड फ्लोर तक कालम ए1 से ए 7 व बी1 से बी7	14x2(.23+.33)x3	51.24 वर्ग मी0
ग्राउण्ड फ्लोर से प्रथम फ्लोर तक प्रथम फ्लोर से द्वितीय फ्लोर तक द्वितीय फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक तृतीय फ्लोर से रूफ लेवल तक	4x22x2(.23+.33)x3	322.08 वर्ग मी0

कालम ए1 से ए 7 बी1 से बी7 व बी1 से बी8 कुल 22 कालम प्रति फ्लोर
चार फ्लोर

योग = 627.48 वर्ग मी.

एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ऊंचाई 3 मीटर 2.62 मीटर
कालम की ऊंचाई 0.33 मीटर बीम की ऊंचाई तथा 0.10 मीटर स्लैब की मोटाई
थी इसके अतिरिक्त एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ब्रिक वर्क का कार्य भी 2.62
मीटर ऊंचाई तक ही किया गया था अतः कालम की ऊंचाई 2.62 मीटर थी तथा
कालम में फार्म वर्क का कार्य भी 2.62 मीटर ऊंचाई तक ही किया जाना था
क्योंकि उपरोक्त गणना के अनुसार कालम में फार्म वर्क 2.83 मीटर व 3 मीटर
ऊंचाई तक किया गया दर्शाया गया था जो कि उचित नहीं है कालम की 2.62
मीटर ऊंचाई के अनुसार कालम में फार्म वर्क निम्न प्रकार से किया जाना था :-

... ...

714 पृष्ठ 28	242.56	द्वितीय फ्लोर चार यूनिट
715 [illegible]	225.03	तृतीय फ्लोर चार यूनिट

... ...

ब्लाक नं0 20 ए

बेसमेन्ट फ्लोर से ग्राउण्ड फ्लोर तक	14x2(.23+.33)x2.62	= 44.75 व.मी
ग्राउण्ड फ्लोर से एक बीम तक चार फ्लोर 14 कालम प्रति फ्लोर	4x14x2(.23+.33) 2.62	= 179.004.मी.

ब्लाक नं0 18 बी

बेसमेन्ट फ्लोर से ग्राउण्डफ्लोर तक	14x2(.23+.33)2.62	= 44.15 व.मी.
ग्राउण्ड फ्लोर से एक बीम तक 22 कालम प्रति फ्लोर चार फ्लोर	4x22x2(.23+.33)2.62	= 281.28 वर्ग.मी.
	योग	= 549.78 व.मी

उपरोक्त मामले में कालम व पिलर पोस्ट में फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य करते समय कालम की ऊंचाई 2.62 मीटर के स्थान पर 3 मीटर व 2.83 मीटर दर्शाये जाने के कारण संविदाकार को 77.70 वर्ग मीटर (627.48 वर्ग मी. – 549.78 वर्ग मी.) कार्य मात्रा के लिए 50.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से राशि 3885.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(3) चालतें चलित बिल की मद संख्या 6/13 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग टोर स्टील रिईन्फोर्समेन्ट सम्बन्धित कुल कार्य मात्रा 42858.19 किलो ग्राम का भुगतान 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 714 पृष्ठ 37 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 8एमएम 9123.00 किलो ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां 714 पृष्ठ 30 पर एन्ट्रित की गई थी। 9123.00 किलो ग्राम कार्य मात्रा में शामिल 8 एमएम स्टील की 463.24 मीटर, 12 एमएम स्टील की 1.50 मीटर व 16 एमएम 157.31 मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 709 पृष्ठ 78 पर दर्ज थी जिन का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक नं ए5 व ए6 में स्ट्रक्चर की कार्य मात्रा की गणना करते समय 8एमएम स्टील की 101.52 मीटर कार्य मात्रा की प्रविष्टि 16 एमएम स्टील की स्टील की कार्य मात्रा में शामिल की गई थी। जिसके कारण संविदाकार को 120.30 कि0ग्रा0 (101.52मी.x1.58कि.ग्रा. = 160.40कि.ग्रा.–101.52 x.395कि.ग्रा. = 40.10 किलो ग्राम) कार्य मात्रा के लिए 19.00 रुपये .. ...

714 पृष्ठ 28	242.56	द्वितीय फ्लोर चार प्रति
716 पृष्ठ 23	225.03	तृतीय फ्लोर चार प्रति।

प्रति किलोग्राम की दर से राशि 2286.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित कराई जानी है।

(8) आठवें चालित बिल की मद संख्या 13/46 (1) द्वारा वर्किंग गर्डर स्टील वर्क इन ट्रसिंग पैनल्स इत्यादि से सम्बन्धित क्रय किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 7960.63 किलो ग्राम का भुगतान 25.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 716 पृष्ठ 8 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 1800.57 किलो ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 593 पृष्ठ 100 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 1792.67 किलो ग्राम के स्थान पर 1800.57 किलो ग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 7.90 किलो ग्राम कार्य मात्रा के लिए 25.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 198.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

(9) दसवें चालित बिल की मद संख्या 10/19 द्वारा वर्किंग कार्य राफ ब्रिक मेसनरी सुपरस्ट्रक्चर से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 1969.15 वर्ग मीटर का भुगतान 225.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 716 पृष्ठ 29 पर किया गया था यह कार्य मात्रा ब्लाक संख्या 18 बी व 20ए में किये गये राफ ब्रिक मेसनरी के कार्य से सम्बन्धित थी ब्लाकसंख्या 20 ए के ग्राउंड फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक क्रय किये गये राफ ब्रिक मेसनरी की कार्य मात्रा 948.56 वर्ग मीटर की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ	कार्य मात्रा वर्ग मी०	टिप्पणी
635, पृष्ठ 53	116.13	ग्राउंड फ्लोर 2 यूनिट
686, पृष्ठ 72	60.74	ग्राउंड फ्लोर 1 यूनिट
686, पृष्ठ 81	303.70	ग्राउंड फ्लोर 1 यूनिट व प्रथम फ्लोर 4 यूनिट
714 पृष्ठ 28	242.56	द्वितीय फ्लोर चार यूनिट।
716 पृष्ठ 23	225.03	तृतीय फ्लोर चार यूनिट।
	[illegible] वर्ग मीटर	

ब्लाक संख्या 20 ए में एक फ्लोर में चार यूनिट यानि चार फ्लैट थे जिनमें दो फ्लैट के बीच में एक किचन कामन वाल थी चार यूनिट यानी चार फ्लैट के बीच में कालम ए 4 से बी4 तक एक रूम की कामन वाल थी उपरोक्त रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि एक यूनिट की कार्य मात्रा की गणना करके अन्य यूनिटों की कार्य मात्रा उस यूनिट की मात्रा से गुणा करके निकाली गई थी एक फ्लोर में चार यूनिट की कार्य मात्रा से दो किचन कामन वाल की कार्य मात्रा व एक रूम की कामन वाल की कार्य मात्रा कम की जानी थी किचन कामन वाल की कार्य मात्रा कम कर दी गई थी लेकिन रूम की कामन वाल की कार्य मात्रा कम नहीं की गई थी कुल कार्य मात्रा से रूम कामन वाल की कार्य मात्रा कम न किये जाने के कारण ब्लाक 20 ए के ग्राउंड से तृतीय फ्लोर तक हाफ ब्रिक मेसनरी की कार्य मात्रा का भुगतान करते समय कामन वाल की निम्न दर्शाई गई कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था ।

ग्राउंड फ्लोर प्रथम फ्लोर द्वितीय फ्लोर	3x4.90x2.62	33.51 वर्ग मीटर
तृतीय फ्लोर	1x4.90 x 2.70	13.23 वर्ग मीटर
		51.74 वर्ग मीटर

उपरोक्त मामले में संविदाकार को 51.74 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 225.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 11642.00 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

4. रु 31,284.00 रूपये वसूली न कर वर्क्स कर व दण्ड ब्याज राशि को उपार्जित निधि से अनियमित रूप से भुगतान एवं जिम्मेदार उत्तरदायित्व निर्धारित न करना :-

---

वाउचर संख्या 33, दिनांक 23.12.2000 रु 56510.00 रूपये द्वारा सेन्ट्रल एक्साईज कस्टम विभाग को [illegible] की अवधि 1.7.97 से 31.12.2000 तक की [illegible] पर वर्क्स टैक्स के रूप में रु 44,615.00 रूपये तथा वर्क्स टैक्स को देरी से जमा कराने पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत मासिक ब्याज के रूप में 11895.00 रूपये कुल राशि 56510.00 रूपये

....

का भुगतान किया गया था भुगतान की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :-

(क) सर्विस टैक्स सामुदायिक केन्द्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त करके यथादेय समय समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को जमा किया जाना था अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त वाउचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1.7.97 से 21.12.98 तक सामुदायिक केन्द्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से रु0 25,626.00 रुपये सर्विस टैक्स प्राप्त किया गया था जबकि उपरोक्त अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को सर्विस टैक्स के रूप में रु0 44615.00 रुपये का भुगतान किया गया था। अतः सर्विस टैक्स की रु0 19,339.00 रुपये की अधिक भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया
जाये सर्विस टैक्स की अधिक भुगतान की गई राशि का
जाये। इसके अतिरिक्त सामुदायिक केन्द्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से सर्विस टैक्स की रु0 19,339.00 रुपये की कम वसूली करने वाले उत्तरदायित्व निर्धारित करके वसूली सुनिश्चित की जावे।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पत्र संख्या 4(16) एस0टी0/एस0के0/एस 4-सीसी-4344, दिनांक 16.12.99 द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-दो को सामुदायिक केन्द्र की आय से सम्बन्धित सर्विस टैक्स के रिटर्न भरने को व सर्विस टैक्स जमा करने को कहा गया था। लेकिन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा न तो समय पर सर्विस टैक्स का रिटर्न भरी न ही सर्विस टैक्स का भुगतान किया गया। समय पर सर्विस टैक्स का भुगतान न करने के फलस्वरूप दण्ड के रूप में 1½ प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से उपरोक्त वाउचर द्वारा ब्याज की राशि के रूप में रु0 11,395.00 रुपये का भुगतान किया गया जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके वसूली सुनिश्चित की जावे।

इसके अतिरिक्त दण्ड के रूप में ब्याज की राशि जमा करने बारे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के आदेश अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः बिना दण्ड ब्याज जमा करने के आदेशों के दण्ड ब्याज जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे तथा दण्ड ब्याज जमा करने से हुई हानि के कारणों की जाँच करके जिम्मेदारी निर्धारित की जावे।

... ...

[illegible] ठेकेदार के प्रथम भाग पर सर्विस टैक्स की कम वसूली व सर्विस टैक्स [illegible] को [illegible] भुगतान न करने पर ब्याज की भुगतान की गई राशि का विवरण।

[illegible]	सर्विस टैक्स की वसूल की गई राशि	सर्विस टैक्स की भुगतान की गई राशि	सर्विस टैक्स की वसूली से अधिक भुगतान की गई राशि	सर्विस टैक्स को देर से जमा करने पर 1½ प्रतिमाह की दर से भुगतान की गई राशि
2	3	4	5	6
750-00	—	38-00	38-00	23-00
9250-00	—	463-00	463-00	271-00
100-00	—	5-00	5-00	3-00
14086-00	—	2454-00	2454-00	1362-00
39734-00	—	1987-00	1987-00	1073-00
25204-00	—	1260-00	1260-00	662-00
4900-00	—	245-00	245-00	118-00
11975-00	—	599-00	599-00	279-00
52775-00	—	2639-00	2639-00	1188-00
31675-00	—	1584-00	1584-00	689-00
15600-00	—	780-00	780-00	328-00
19850-00	—	993-00	993-00	1102-00
35495-00	—	1775-00	1775-00	692-00
19150-00	—	608-00	608-00	219-00
7101-00	—	355-00	355-00	128-00
35195-00	—	1756-00	1756-00	606-00
19950-00	693-00	998-00	305-00	214-00
20750-00	805-00	1055-00	6[illegible]	1166-00

2	3	4	5	6
2225-00	1001-00	1001-00	——	285-00
2240-00	1620-00	1962-00	342-00	529-00
10902-00	2045-00	2045-00	——	520-00
1550-00	171-00	528-00	357-00	127-00
6500-00	340-00	340-00	—	77-00
11100-00	555-00	555-00	—	117-00
31630-00	1732-00	1732-00	—	338-00
13320-00	666-00	666-00	—	120-00
18125-00	1210-00	1306-00	96-00	215-00
9300-00	1150-00	1165-00	15-00	70-00
16070-00	804-00	804-00	..	109-00
12510-00	626-00	626-00	..	75-00
55470-00	2773-00	2773-00	—	291-00
7360-00	318-00	368-00	50-00	33-00
4995-00	246-00	246-00	—	18-00
15995-00	799-00	799-00	—	48-00
26020-00	1301-00	1301-00	—	59-00
9900-00	460-00	460-00	—	14-00
69721-00	3136-00	3136-00	—	47-00
41827-00	2091-00	2091-00	—	—
27650-00	1384-00	1384-00	—	—
	25626-00	44615-00	19389-00	11,895-00

रु 29,622.00 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि का ठेकेदारों से वसूली न करना :-

वाउचर संख्या 48, दिनांक 30.12.2000 रु 29,622.00 रुपये द्वारा क्षति का भुगतान बी.सी.एच.फेज-III के निर्माण कार्य के फलस्वरूप पट्टी रिहाना के लोगों को प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा जो मिट्टी भवनों के खुदाई से मलबे से भूमि की हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	पट्टी रिहाना के लोगों की भूमि को मिट्टी इत्यादि फेंकने के फलस्वरूप हुई हानि का मुआवजा/ प्रतिपूर्ति की राशि	29,211.00
2.	सिवरेज लाईन बिछाने के कारण भूमि को हानि को [illegible] प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान।	411.00
	जोड़ :	29,622.00

उपरोक्त मामले में बी.सी.एच. फेज-III के निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा पट्टी रिहाना के लोगों की भूमि पर मिट्टी इत्यादि फेंक कर हानि पहुँचाई गई थी इसलिए पट्टी रिहाना के लोगों की भूमि को हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भुगतान की गई राशि की वसूली ठेकेदारों से की जानी थी तथा इस क्षतिपूर्ति हेतु ठेकेदारों द्वारा कार्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय भी लिखित रूप में आश्वासन दिया गया था अतः उपरोक्त भुगतान की गई राशि की ठेकेदारों से वसूली शीघ्र ही किया करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

वाउचर संख्या 8, दिनांक [illegible].3.2000 रु 16,138.00 रुपये :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा वर्क आर्डर संख्या 18, वर्ष 99-2000 के प्रथम व अन्तिम चालू बिल के अंतर्गत किये गये कार्य के लिए ठेकेदार को रु 16138.00 रुपये का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 604 पृष्ठ 69 पर किया गया था।

प्रथम व अन्तिम [illegible] बिल की मद संख्या 1/1 द्वारा वाईट वाशिंग कोटिंग के कार्य के अन्तर्गत 111.35 वर्ग मीटर का भुगतान 59.00 रु [illegible] ....

प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 604 पृष्ठ 65 पर दर्ज थी जिन का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य मात्रा 105.61 घन मीटर थी जबकि भुगतान 111.35 घन मीटर का किया गया था जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 5.74 घन मीटर (111.35 घन मी. -105.61 घन मी.) कार्य मात्रा के लिए 59.00 रुपये प्रतिघन मीटर की दर से राशि 339.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये ।

<u>बिना ग्रिट की आपूर्ति के रु 19,507.00 रुपये का भुगतान किया जाना :-</u>

वाउचर संख्या 70 दिनांक 29.6.2000 रु 54260.00 रुपये द्वारा वर्क आर्डर संख्या 21 वर्ष 1999-2000 के प्रथम व अन्तिम बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए 19507.00 रुपये का भुगतान किया गया था । उपरोक्त वर्क आर्डर के प्रथम व अन्तिम चलित बिल की मद संख्या: 1 द्वारा वर्णित कार्य ग्रिट की बिछाई से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 30.01 घन मीटर का भुगतान 650.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 570 पृष्ठ 100 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित ग्रिट बिछाई की प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 570 पृष्ठ 99 पर दर्ज की गई थी जिन का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्रिट की प्राप्ति की एम.ए.एस. रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ग्रिट प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि इसका उल्लेख सम्बन्धित बिल व वाउचर पर भी नहीं था तथा न ही प्राप्त ग्रिट के उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये। अत: रु 19507.00 रुपये (30.01 घन मी. × 650.00 रुपये) ग्रिट के मूल्य की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

ड. <u>वाउचर संख्या 48 माह 6/2000 :-</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा वर्क आर्डर संख्या 16 वर्ष 1999-2000 व 3 सप्लीमेन्ट्री 2000-2001 द्वारा किये गये कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान किया गया था उपरोक्त वर्क आर्डरों द्वारा किये गये कार्य के लिए बाजार से विभिन्न [illegible] जारी किये गये थे अंकेक्षण के दौरान

... ...

पाया गया कि उपरोक्त कार्यों के लिए भण्डार से जारी पारकोल ड्रमों के जारी होने पर जारी ड्रमों को मापपुस्तिका की प्रविष्टि एम.ए.एस. रजिस्टर में नहीं की गई थी न ही जारी ड्रमों के मूल्य की वसूली की गई थी। जारी ड्रमों/ड्रमों के मूल्य की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे। भण्डार से जारी पारकोल ड्रम जिनके जारी होने पर मापपुस्तिका में दर्शाई गई थी का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्क आर्डर संख्या	मापन पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	ड्रमों की संख्या	ठेकेदार का नाम
16 वर्ष 99-2000	754, पृष्ठ 16	9	श्री राकेश कुमार मिश्र
3 सप्लीमेन्ट्री वर्ष 2000-2001	754, पृष्ठ 23	9	श्री राकेश कुमार मिश्र

9. कार्य का नाम : बी.डी.एस.के-III में 12 फीट टर्फ की फेंस व 4 फीट टर्फ एवं फेंस का निर्माण कार्य आन्तरिक मय मजदूरी एवं क्या किराया सहित करना (पैकेज संख्या 25 व 26)

ठेकेदार : मिश्रा एवं चौहान।

अनुबन्ध संख्या : 6, वर्ष 1999-2000

उपरोक्त कार्य के प्रथम चालू बिल से पांचवे चालू बिल के दौरान किये गये भुगतान की जांच करने पर रु 2042.00 रुपये के अधिक भुगतान के मामले व अन्य अनियमितताएँ पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) दूसरे चालू बिल की मद संख्या 4/9 (ए) द्वारा वर्णित कार्य जो की 1:6:12 की 40 एम.एम. आकार में किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 43-49 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 744 पृष्ठ 17 700.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया था उस कार्य मात्रा में शामिल 6.63 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 745 पृष्ठ 6 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 6.45 घन मीटर के स्थान पर 6.63 घन मीटर दर्शाई गई थी जिससे फालतू

ठेकेदार को 0.13 घन मीटर [0.63घ.मी.- 6.49घन मी०] कार्य मात्रा के लिए 700.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 126.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

[ख] चौथरे परीक्षा जिस की मद संख्या 3/3[डी] द्वारा वर्णित कार्य बोर्म वर्क कालम व पिल्लर पोस्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 200.06 वर्ग मीटर का भुगतान 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 743 पृष्ठ 27 पर किया गया था उपरोक्त 200.06 वर्ग मीटर कार्य मात्रा में 0.87 वर्ग मीटर कार्य मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 12 से दो बार दर्ज दर्शाई गई थी जबकि मापन पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 12 पर 0.87 वर्ग मीटर कार्य मात्रा को रिकार्ड, प्रविष्टियाँ एक बार ही की गई थी। अतः 0.87 वर्ग मीटर कार्य मात्रा को दो बार प्रविष्टियां किये जाने के कारण ठेकेदार को 0.87 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 44.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

[ग] चौथरे परीक्षा जिस की मद संख्या 6/6 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइडिंग टोर स्टील रिइन्फोर्समेंट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 22411.34 किलो ग्राम का भुगतान 19.00 रुपये प्रतिकिलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 743 पृष्ठ 31 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 8580.72 किलो ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 744 पृष्ठ 26 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि जमा में गलती के कारण कार्य मात्रा 8523.28 किलो ग्राम के स्थान पर 8580.72 किलो ग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 57.44 किलो ग्राम [8580.72 कि.ग्रा. - 8523.28 कि.ग्रा.] कार्य मात्रा के लिए 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 1091.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

(घ)

(च) चौथे चालित बिल की मद संख्या: 6/6 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइडिंग एण्ड फेब्रिकेटिंग टॉवर स्टील रिइन्फोर्समेंट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 30804.22 किलो ग्राम का भुगतान 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 62 पर किया गया था उस कार्य मात्रा में शामिल 8392.88 किलो ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 742 पृष्ठ 36 से लाई गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 8383.92 किलो ग्राम के स्थान पर 8392.88 किलो ग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 8.96 किलो ग्राम (8392-88 कि.ग्रा. — 8383.92 कि.ग्रा.) कार्य मात्रा के लिए ठेकेदार को 19.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 170.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ङ) चौथे चालित बिल की मद संख्या 10/10 द्वारा वर्णित कार्य एफ ब्रिक मेसनरी सुपरस्ट्रक्चर से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 100.86 वर्ग मीटर का भुगतान 230 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 63 पर किया गया था उस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका 743 पृष्ठ 67 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 99.22 वर्ग मीटर के स्थान पर 100.86 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 1.64 वर्ग मीटर (100.86 वर्ग मी.—99.22 व.मी.) कार्य मात्रा के लिए 230.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 377.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

(च) चौथे चालित बिल की मद संख्या 11/26(1) (प्रोवर्ड-ए) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग ग्रिल स्टील डोर व विन्डो फ्रेम से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 26.20 मीटर का भुगतान 125.00 रुपये पार्ट दर, पूर्ण दर 130.00 रुपये प्रति मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 772 पृष्ठ 64 पर किया गया था उस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 743 पृष्ठ 68 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि, दरवाजे के होरीजेन्टल मेम्बर की कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की गई थी :-

... ...

234

88.

डी₁ = 2 नं० :-

डोरी वेन्टस मेम्बर 2×2×0.90 = 3.60 मीटर

डी₁ दरवाजे में एक डोरी वेन्टस मेम्बर था जिसके अनुसार कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की जानी थी :-

डी₁=2 नं० :-

डोरी वेन्टस मेम्बर 2×1×0.90 = 1.80 मीटर

उपरोक्त मामले में 1.80 मीटर के स्थान पर 3.60 मीटर का भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार को 1.80 मीटर (3.60 मीटर-1.80 मीटर) कार्य मात्रा के लिए 130.00 रुपये प्रतिमीटर की दर से राशि 234.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये।

(ग) मापन पुस्तिका संख्या 742 पृष्ठ 12 पर प्रथम चालू बिल के दौरान 37.85 घन मीटर स्टोन प्रयुक्त किया दर्शाया गया था जिसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में एम.ए.एस. रजिस्टर पृष्ठ 2 पर प्राप्ति की प्रविष्टि की दर्शाई गई थी लेकिन सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त स्टोन की प्राप्ति व उपभोग के सम्बन्ध में अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये अन्यथा स्टोन के मूल्य की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

6. वाउचर संख्या 70, माह 6/2000 (1) 54,263.00 रुपये :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा अन्य वर्क आर्डर के अतिरिक्त वर्क आर्डर संख्या 20 वर्ष 1999-2000 के प्रथम व अन्तिम बिल के रूप में 12703.00 रुपये का भुगतान किया गया था उस भुगतान की जाँच करने पर राशि 903.00 रुपये के अधिक भुगतान के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) प्रथम व अन्तिम चालू बिल की मद संख्या 4 द्वारा वर्णित कार्य रफ ट्रिक किनारों से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 7.46 वर्ग मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 11 पर 266.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से किया गया था उस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 2 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर ... किनारों से सम्बन्धित किये गए कार्य की

... ...

कुल कार्य मात्रा से बायकन में आने से वैरीफेटर को कार्य मात्रा जिसका आकार मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 5 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार 0.34 मीटर x 0.76मीटर था की कार्य मात्रा कम नहीं की गई थी जोकि 0.258 वर्ग मीटर [0.34 मी.x0.76मी.] बनती थी। अतः बायकन में किये गये वायक ब्रिक मेसनरी के कार्य को कार्य मात्रा से वैरीफेटर की कार्य मात्रा कम न किये जाने के कारण संविदाकार को 0.258 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 266.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 69.00 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

(6) प्रथम व अन्तिम चलित बिल की मद संख्या 7 द्वारा प्लाइट गोल टाईल से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 16.23 वर्ग मीटर का भुगतान 515 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 12 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा को रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 3 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य मात्रा को गणना करते समय दरवाजे में किए गए कार्य कोकार्य मात्रा कम नहीं की गई थी दरवाजे का आकार मापन पुस्तिका संख्या 759 पृष्ठ 5 पर कीगई रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार [2.16मी.x0.75 मी.] था कुल कार्य मात्रा से दरवाजे में की गई कार्य मात्रा जो 1.62 वर्ग मीटर [2.16मी.x0.75मी.] बनती थी कम की जानी थी दरवाजे में किये गये कार्य की मात्रा कुल कार्य मात्रा से कम न किये जाने के कारण संविदाकार को 1.62 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए संविदाकार को 515 .99 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 834.00 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली की जाये।

41. कार्य का नाम : आवासीय कम्पलेक्स बी.बी.एस.के-3 में 6फ्रो टाईप ए रेजीडेन्ट फ्लैट 20 फ्रो टाईप ए फ्लैट व 14 फ्रो टाईप बी फ्लैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति एवं स्वच्छ निकास सहित करना।

संविदाकार का नाम : मै0 एन.एल.गुप्ता, एसोसिएट ।

अनुबन्ध संख्या : 32. वर्ष 1997-98.

उपरोक्त कार्य का आंवटन संविदाकार को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या एन.पी.एन.बी.सी.-[डी-II]अनु0उ0-7/58-773-81, दिनांक 18.3.98 द्वारा निविदा कार्य 156.77 प्रतिशत ऊपर सभाई एवं बेहतरी

इन्स्टोलेशन का कार्य 97.42 प्रतिशत टेण्डर की राशि के ऊपर किया गया था कार्य के प्रथम चालित बिल से छठे चालित बिल तक किये गये कार्य की जाँच करने पर राशि 9678.00 रुपये के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है अधिक भुगतान की गई राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जावे।

(क) दूसरे चालित बिल की मद संख्या 3/3 की धारा वर्णित कार्य फोर्म वर्क बीम केन्टोलीवर से सम्बन्धित कुल कार्य मात्रा 649.25 वर्ग मीटर का भुगतान 70.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 683 पृष्ठ 33 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 83.92 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 699 पृष्ठ 41 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि बीम का आकार .23मी.x .33मी. का था जिसमें 0.10 मी. स्लेब की मात्रा भी शामिल थी बीम की बाहर की साईड में फोर्म वर्क करते समय 0.33 मी. चौड़ाई फोर्म वर्क ~~xxxxxxxx xxxxxxxxx~~ किया जाना था तथा अन्दर की साईड में फोर्म वर्क करते हुए समय 0.23 मीटर में चौड़ाई में फोर्म वर्क किया जाना था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अन्दर के क्रास बीम में फोर्म वर्क करते हुए समय चौड़ाई 0.33 मी. दर्शाकर कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की गई थी :-

<u>क्रास बीम :-</u>

बी1 डी1 से बी7डी7 2x6x3.20x0.33 = 14.95 वर्ग मीटर
इनरसाईड

जबकि कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी :-

क्रास बीम बी1 डी1 से बी7डी7 2x6x3.20x0.23 = 10.75 वर्ग मी.
इन्नर साईड

उपरोक्त मामले में 10.75 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के स्थान पर 14.59 वर्ग मीटर कार्य मात्रा का भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार 3.84 (14.59 वर्ग मी.-10.75 वर्ग मी.) कार्य मात्रा के लिए 70.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 269.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

... ...

51 237

... ...

(अ) चौथे चालित बिल की मद संख्या 3/3 की द्वारा वर्णित कार्य कोर्न ई स्टोन्स बरसेस से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 2312.48 वर्ग मीटर का भुगतान 70.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 724 पृष्ठ 4 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 76.36 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 683 पृष्ठ 93 से दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि 76.36 वर्ग मीटर कार्य मात्रा में शामिल 67.01 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 683 पृष्ठ 92 पर दर्ज की गई थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 6.70 वर्ग मीटर के स्थान पर 67.01 वर्ग मी. दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 60.31 वर्ग मीटर (67.01 वर्ग मीटर - 6.70 वर्ग मी.) कार्य मात्रा के लिए 70.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 4222.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ब) चौथे चालित बिल की मद संख्या 9/10 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाइड फिक्स टोर/ ग्राइडेड स्टील रिइन्फोर्समेन्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 37446.79 किलो ग्राम का भुगतान ठेकेदार को 19.96 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 724 पृष्ठ 9 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 19009.95 किलो ग्राम कार्य मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 683 पृष्ठ 100 पर दर्ज की गई थी जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 18956.86 किलो ग्राम के स्थान पर 19009.95 किलो ग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 53.09 कि. ग्राम (19009.45 किलो ग्राम - 18956.86 किलो ग्राम) कार्य मात्रा के लिए 19.96 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 1060.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(स) छठे चालित बिल की मद संख्या 27/46 द्वारा वर्णित कार्य ड्राविंग में रोल्ड स्टील, चैनल, एंगल इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 15329.80 किलो ग्राम का भुगतान 2500.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मापन पुस्तिका संख्या 724 पृष्ठ 64 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 5436.29 किलो ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 731 पृष्ठ 28 पर दर्ज की गई थी जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि एंगल 40x40x6 की कार्य मात्रा 300.12 मीटर को किलो ग्राम में बदलते समय

... ...

से भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप 165.06 किलो ग्राम (330.12 मी०
x3 कि.ग्रा.=330.12 मीटर x 3.50 किलो ग्राम) कार्य भाग के लिए
2500.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि 4127.00 रुपये का अधिक
भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

रु0 5923.00 रुपये का अधिक भुगतान :-

वाउचर संख्या 29 माह 9/99 द्वारा मै० गुप्ता स्टील इन्डस्ट्री कन्दरौडी जिला कांगड़ा को सप्लाई आदेश संख्या एक्सईएन/सीपी-एसी(डी) -स्टोर/99-6622-22, दिनांक 9.9.99 के विरुद्ध प्राप्त स्टोर के लिए रु0 852396.00 रुपये का भुगतान किया गया था भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि सप्लाई आर्डर में दर्शाई गई दरों से अधिक दरों पर मै० गुप्ता स्टील इन्डस्ट्री को भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप रु0 5923.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये। अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

प्राप्त मात्रा	सप्लाई आर्डर के अनुसार दर प्रति एम०टी०	बिल दरें से भुगतान किया गया प्रति एम०टी०	सप्लाई आर्डर की दरों के अनुसार किया भुगतान किया जाना था	किया भुगतान	अधिक भुगतान
32 एम०टी०	16602.00	16717.00	531264.00	534944.00	3680.00
18 एम०टी०	16142.00	16257.00	290556.00	292626.00	2070.00
					5750.00
			सेल टैक्स 3 प्रतिशत		173.00
			कुल अधिक भुगतान		5923.00

... ...

वाउचर संख्या 20 माह 3/2000 राशि रु0 14,657.00 रुपये
वर्क आर्डर संख्या : 15, वर्ष 1999-2000.
ठेकेदार : जितेन्द्र कुमार ।
कार्य का नाम : बी.सी.एम. के नीचे केम । लेन 7 सेक्टर । केम ड्रेन से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना ।

उपरोक्त वाउचर द्वारा ठेकेदार को वर्क आर्डर संख्या 15 व 16 वर्ष 99-2000 के प्रथम व अन्तिम बिलों के दौरान किये कार्य के लिए भुगतान किया गया था भुगतान की जाँच करने पर निम्न-लिखित अनियमितताएँ पाई गई :-

(क) वर्क आर्डर संख्या 15 के प्रथम व अन्तिम बिल की मद संख्या 5/6 द्वारा वर्णित प्रोवाईडिंग टॉर स्टील रिइन्फोरसमेन्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 15 किलो ग्राम का भुगतान 20.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या698 पृष्ठ 33 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 698 पृष्ठ 32 पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रोवाईडिंग टॉर स्टील रिइन्फोरसमेन्ट से सम्बन्धित किये गये कार्य की कार्य मात्रा से सम्बन्धित [illegible] रिकार्ड प्रविष्टियाँ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चेक नहीं की गई थी जबकि प्रोवाईडिंग टॉर स्टील रिइन्फोरसमेन्ट से सम्बन्धित सभी प्रविष्टि रिकार्ड प्रविष्टियों को सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चेक किया जाना अनिवार्य था। अतः सहायक अभियन्ता के रिकार्ड प्रविष्टियों को सत्यापन किये बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा भुगतान की गई राशि रु0 300.00 रुपये की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

(ख) उपरोक्त वर्क आर्डर कीशर्तों के अनुसार टॉर स्टील हिमाचल प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण स्टोर से ही ठेकेदार को जारी किया जाना था जिसकी वसूली 17175/- रुपये प्रति एम टी की दर से ठेकेदार से की जानी थी। उपरोक्त कार्य में 15 किलो ग्राम स्टील उपयोग किया गया था जिसकी वसूली ठेकेदार से नहीं की गई थी जो रु0 17175.00 रुपये प्रति मिट्रिक टन की दर से रु0

250.00 रुपये की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के पत्र संख्या: 15-260/2001/ए/एवई/डब्ल्यू/ खण्ड-I/1073-77 दिनांक 18.5.2001 की अनुपालना करते हुए अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण खण्ड-I ने सामुदायिक केन्द्र का निम्नाकं/ प्रभार पत्र संख्या: एचबी-सामुदायिक केन्द्र/2001-1074-77, दिनांक 22.5.2001 द्वारा सचिव नगर निगम शिमला को हस्तान्तरित किया गया था। सामुदायिक केन्द्र में अन्य सामग्री फर्नीचर, क्राकरी, किचन [illegible] व अन्य सामग्री नगर निगम शिमला को हस्तान्तरित नहीं की गई थी जबकि उपरोक्त क्रय की गई सामग्री का उपयोग सामुदायिक केन्द्र में ही किया जा रहा था। अतः उपरोक्त समस्त सामग्री की सूचियां तैयार करके समस्त सामग्री को नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाए तथा सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि के सम्बन्ध में सूचना नगर निगम कार्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक केन्द्र का हस्तान्तरण दिनांक 22.5.2001 से नगर निगम को कर दिया गया था तथा इस हेतु कार्यरत चौकीदार व सफाई कर्मचारी इत्यादि के वेतन का भुगतान आवास बोर्ड द्वारा ही किया जा रहा था जबकि सामुदायिक केन्द्र की आय नगर निगम द्वारा प्राप्त की जा रही थी। इस स्थिति के मद्देनजर सामुदायिक केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नगर निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए था। अतः 22.5.2001 के पश्चात सामुदायिक केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन की भुगतान की गई राशि को नगर निगम कार्यालय से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

एम.ए.एस. से जारी इमारती लकड़ी व अन्य सामग्री का दुरुपयोग :-

एम.ए.एस. रजिस्टर संख्या 6 के जारी पुस्तिका संख्या 481 पृष्ठ 71-72 पर सामग्री जारी की गई थी रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार इस सामग्री से कॉटेज संख्या 69 के नजदीक [illegible] जो से पुराने

... ... 95 241

अस्थाई स्टोर/शेड को स्थानान्तरित करके पुनः निर्माण किया गया था। जिसे उपरोक्त एम.ए.ए. रजिस्टर से निम्न सामग्री जारी करके उपयोग को दर्शाई गई थी :-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा		एमएएस रजिस्टर 6 की पृष्ठ संख्या
1.	सी जी आई शीट 10 मीटर लम्बी	27 नं		पृष्ठ 24
2.	एम.एस.चैनल 75×40	3.16 मीटर		पृष्ठ 24
3.	एम.एस.चैनल 75×40	11.95 मीटर		पृष्ठ 24
4.	नेल्स 4इंच	1 किलो ग्राम		
5.	नेल्स $2\frac{1}{2}$ इंच	1 किलो ग्राम		
6.	देवदार लकडी	1.95 मी. लम्बी	102 से.मी.गिरथ	पृष्ठ32
7.	देवदार लकडी	2.9. —"—	80 —"—	
8.	देवदार लकडी	2.60 —"—	100 —"—	
9.	देवदार लकडी	3.45 —"—	84 —"—	
10.	देवदार लकडी	3.25 —"—	90 —"—	
11.	देवदार लकडी	3.10 —"—	70 —"—	

उपरोक्त मामले में 19 फुट × 9 फुट के अस्थाई शेड के निर्माण कार्य के लिए अत्याधिक सामग्री उपयोग की दर्शाई गई थी जो कि कम संभव प्रतीत नहीं होती। अत्याधिक उपयोग दर्शाई गई सामग्री की विभागीय जाँच करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये इसके अतिरिक्त बी.डी. एस.पेच-1 का निर्माण कार्य अब समाप्त हो चुका है इसलिए उपरोक्त शेड में उपयोग की गई सामग्री को शेड को डिस्मेन्टल करके पुनः स्टाक में ली जानी सुनिश्चित की जावे।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त शेड का निर्माण पुराने शेड को स्थानान्तरित करके किया गया था जो स्टाफ की में था स्थानान्तरित किये गये शेड के निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री भी वापिस स्टाक में नहीं ली गई थी। अतः पुराने शेड के निर्माण में उपयोग सामग्री को भी स्टाक में वापिस लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

... ...

96 262

रु0 1,40,367.00 रुपये की कम वसूली :- कृपया प्राधिकरण नगर विकास प्राधिकरण के स्वीकार्य आदेश संख्या: एच.पी.एस.सी.पी.-ए.सी.[बी] स्वीकार्य आदेश/99-2378-79 दिनांक 13.4.99 द्वारा लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटिड शिमला-1 को निम्न सामग्री जारी करने हेतु कहा गया था।

सी.जी.आई.शीट 8 मीटर लम्बी 5 एम.टी.रु0 27250 रु.=136250.00 प्रति मिट्रिक टन

सी.जी.आई.शीट 10 मीटर लम्बी 5 एम.टी. रु0 27250 रु. प्रति मिट्रिक टन	= 136250.00
	2,72,500.00
100 रुपये प्रति मिट्रिक टन की दर से छूट [10x100]	1000.00
	2,71,500.00

स्वीकार्य आदेश में स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त निगम से [illegible] 2,87,831.00 रुपये शेष है जिस पर 4/96 से [illegible] माह 4/96 से रु0 2,87,831.00 रुपये ब्याज से बनते हैं ब्याज की राशि 31.3.99 तक 1,55,429.00 रुपये [illegible] [287831.00 रु.+155429.00] रु. सहित कुल राशि 4,43,260.00 [illegible] राशि में से उपरोक्त स्वीकार्य आदेश की राशि [illegible] किया जावे।
171760.00 रुपये का [illegible] किया [illegible] द्वारा रु0
इसके पश्चात [illegible] संख्या 36 माह 8/2000 [illegible] की सा[illegible]
781988.00 रुपये का लघु उद्योग एवं निर्यात निगम को [illegible] उपरोक्त दोनों स्वीकार्य आदेशों [illegible] किया गया था। [illegible] प्राप्त हुई थी। सामग्री हेतु भुगतान [illegible] सामग्री प्राप्त हुई थी। [illegible] 1084681.00 रुपये की सामग्री [illegible] कुल राशि [illegible] की गई राशि 7,81,988.00 रुपये तक के विरुद्ध कुल राशि 1084681.00 रुपये का भुगतान माह 8/2000 में [illegible] 31.3.94 तक कुल [illegible] दिनांक 13.9.99 के स्वीकार्य आदेश के अनुसार 31.3.94 तक कुल राशि 12,25,248.00 रु. [illegible] राशि 4,43,260.00 रुपये कुल राशि [illegible] की सामग्री या बकाया [7,81,988.00 रुपये + 4,43,260.00 रुपये] की सामग्री प्राप्त की जानी थी। अतः उपरोक्त राशि लघु उद्योग एवं निर्यात निगम से प्राप्त की जानी थी। [illegible] 10,84,681.00 रुपये की राशि 12,25,248.00 रुपये के विरुद्ध 10,84,681.00 रुपये की वसूली की गई थी बकाया राशि 1,40,367.00 रुपये की वसूली नहीं की गई थी अतः बकाया राशि सामग्री प्राप्त की गई थी [illegible] लघु उद्योग एवं निर्यात निगम से नहीं की गई थी। अतः बकाया राशि 1,40,367.00 रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी [illegible] में दिया जावे।

....

77 743

रु 9582.00 रुपये का अधिक भुगतान :-

सप्लाई आदेश संख्या: एस.पी.एस.सी.पी.-ए.वी.(सी) सप्लाई आर्डर/99-3892-93 दिनांक 9.8.99 द्वारा लघु उद्योग एवं निर्यात निगम को निम्न सामग्री जारी करने हेतु [illegible] दिया गया था।

1.	सीजीआई सीट 10मी. लम्बी 20 एम.टी. रु 26196 रु.प्रति एम टी.	523920.00
2.	सी.जी.आई.सीट 8 मी.लम्बी 5 एम.टी रु 26196 रु. प्रति एमटी.	130980.00
3.	पीजीआई सीट 4 एमटी रु 25698 रु. प्रति एम.टी.	102792.00
		757692.00
	100 रु.प्रति मिट्रिक टन की दर से छूट	2900.00
	जोड़	754792.00

उपरोक्त सप्लाई आदेश के विरुद्ध वाउचर संख्या 36 माह 8/99 द्वारा प्रोफोर्मा इनवाईस के आधार पर सेल टैक्स सहित 781980.00 रुपये का भुगतान किया गया था। उपरोक्त सप्लाई आदेश में स्पष्ट किया था कि सामग्री की दर एफ.ओ.आर समस्त जिलाकेन्द्र में होगी। जिसके अनुसार सामग्री की प्राप्ति पर सामग्री के किराये [illegible] का भुगतान नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना था। ऑडिट के दौरान पाया गया कि उपरोक्त सप्लाई आदेश के विरुद्ध प्राप्त सामग्री की प्राप्ति पर सामग्री के किराये का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

जी.आर. संख्या	प्राप्ति की तिथि	सामग्री का विवरण	मात्रा एम.टी.	किराये को भुगतान की गई राशि का विवरण
397	0.8.99	सी.जी.आई.सीट	7.510 एमटी	मापन पुस्तिका सं0 712
		पी.जी.आई.सीट	2.350 एमटी	पृ0 38 रु 3147.00 रु.
420	9.12.99	सी.जी.आई.सीट	1.820 एम.टी.	मापन पुस्तिका सं0
		सी.जी.आई.सीट	8.350 एमटी	696 पृ0 92 रु 3220/- रु
444	17.2.2000	सीजीआईसीट	7.190 एमटी	मापन पुस्तिका सं0
		पीजीआईसीट	1.095 एमटी	732 पृ0 37 रु 3215.00 रुपये
				किराये का कुल भुगतान 9582.00 रु

अतः उपरोक्त सामग्री में सप्लाई आदेश के अनुसार किराये का

....

98

भुगतान नहीं किया जाना था । जबकि 9382•00 रुपये सामग्री के किराये के रूप में लिया गया था । अतः किराये के रूप में भुगतान की गई राशि रु0 9382•00 रुपये की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

48. श्री बी० एल० तमार कनिष्ठ अभियन्ता के एम०ए०एस०रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि एम०ए०एस० रजिस्टर के पृष्ठ 43 पर मापन पुस्तिका संख्या 135 पृष्ठ 92 के लिए 1•23घन मीटर लकड़ी जारी की दर्शायी गई थी लेकिन मापन पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या: 135 के पृष्ठ 92 पर लकड़ी की प्राप्ति व उपभोग के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं थी । अतः उपरोक्त 1•23 घन मीटर लकड़ी के उपभोग के सम्बन्ध में अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाये जाये अन्यथा लकड़ी के मूल्य की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

49. वाउचर संख्या 19 दिनांक 6•6•2000 रु0 15,389•00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा वर्क ऑर्डर संख्या 24 वर्ष 99-2000 के प्रथम व अन्तिम चालित बिल के रूप में रु0 15,389•00 रुपये का भुगतान संविदाकार श्री भगवती दत्त शर्मा को किया गया था । कार्य के प्रथम व अन्तिम चालित बिल की मद संख्या: 1/1 द्वारा वर्णित कार्य ड्राईविंग एण्ड फिक्सिंग वाल, सीलिंग एण्ड फ्लोर गेल्वेनाईज्ड मार्श्ड स्टील ट्यूब से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 50•70मीटर का भुगतान 70रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 75। पृष्ठ 7 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 75। पृष्ठ 5 पर दर्ज की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 49•80मीटर के स्थान पर 50•70मी० दर्शाई गई थी जिससे फलस्वरूप संविदाकार को 0•90मी० (50•70मी०–49•80मीटर) कार्य मात्रा के लिए 70रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 63•00 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली अपेक्षित है ।

50. उप मण्डल कुल्लू के बिजली के मीटर संख्या एच•पी•सी• 106 से सम्बन्धित रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मीटर रीडिंग 70 से 3570 तक के बिजली के बिलों के भुगतान का भुगतान माह 2/97 से 10/99 तक किया गया था । माह 12/99 में उपरोक्त मीटर से [illegible] में भुगतान किया जा चुका था । ....

सम्बन्धित बिल संख्या 25 20 की मीटर रीडिंग 3578 से 4578 तक 1000 यूनिट के लिए रु0 2497•00 रुपये का भुगतान हुआ था इसके पश्चात् माह 2/2000 में बिल संख्या 6774 मीटर रीडिंग 4578 से 5578 तक 1000 यूनिट के लिए रु0 2498•00 रुपये का भुगतान हुआ था उपरोक्त बिलों का भुगतान सम्बन्धित सहायक अभियन्ता अधिकारी के सत्यापन के बिना किया गया था जब 5578 तक यूनिटों का भुगतान माह 10/99 तक किया जा चुका था तो 3578 यूनिट से 5578 यूनिट तक दोबारा भुगतान करने का औचित्य ही नहीं था। अतः उपरोक्त मामले में 3578 से 5578 तक के यूनिटों का दो बार भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा रु0 4995•00 रुपये (2497•00 + 2498•00 रुपये) कार्यकुशल उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

51• कार्य का नाम:- कलाकार कोर्ट मोड़ कुल्लू में शापिंग सेन्टर का निर्माण कार्य करना।

संविदाकार : श्री अनिल गुप्ता

वाउचर नं• 4 माह 9/99 रु0 1,26,991•00 रुपये

उपरोक्त कार्य के लिए संविदाकार को उन्नीसवें चलित बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए 1,26,991•00 रुपये का भुगतान किया गया था भुगतान की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताये पाई गई।

(1) उन्नीसवें चलित बिल तक संविदाकार को कुल राशि 60,94,595•00 रुपये का भुगतान किया गया था इस भुगतान पर रु0 रु0 13,98,92•00 रुपये बिक्री कर की वसूली की जानी थी जबकि संविदाकार से उन्नीसवें चलित बिल तक मात्र 66,649•00 रुपये की ही सेल टैक्स की वसूली की गई थी अतः रु0 73,243•00 रुपये (1,39,842•00 रु0 − 66,649•00 रुपये) बिक्री कर के रूप में कम वसूली की गई थी। जिसकी उचित माध्यम से वसूली कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(2) उन्नीसवें चलित बिल की मद संख्या: 4/4 (बी) द्वारा वर्णित कार्य आर•सी•सी•1:2:4 से सम्बन्धित फाउंडेशन व फुटिंग के किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा 636•24 घन मीटर का भुगतान 1775•00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका नं• 690 पृष्ठ 20 पर किया गया

था उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 13.38 घन मी. कार्य मात्रा को रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका सं0 637 पृष्ठ 44 पर दर्ज की गई थी जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 13.35 घन मी. के स्थान पर 13.38 घन मी. दर्शायी गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 0.03 घन मी. कार्य मात्रा के लिए 1775.00 रु. प्रति घन मी. की दर से राशि 53.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

12. वाउचर संख्या 20 माह 9/99 मु0 9129.00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा सहायक अभियन्ता कुल्लू को भुगतान की गई राशि 11,318.00 रुपये का समायोजन किया गया था उपरोक्त वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं।

(क) उप वाउचर सं0 9, 10 व 11 मु0 360 रुपये प्रति वाउचर कुल 1080.00 रुपये का भुगतान सीमेन्ट की ढुलाई कालोनी के ... किया गया था। यह व्यय स्टाक स्टोरेज खाते को डैबिट किया गया था जबकि सीमेन्ट की उतराई से सम्बन्धित व्यय स्टाक खाते को डैबिट किया जाना था। उपरोक्त गलत वर्गीकरण के कारण स्टाक स्टोरेज खाते को मु0 1080 रुपये से अधिक दर्शाया गया था तथा स्टाक खाते को मु0 1080 रुपये से कम दर्शाया गया था अतः उपरोक्त व्यय का उचित समायोजन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे। ठीक इसी प्रकार से अन्य व्यय को अपने स्तर पर जाँच करके यदि गलत वर्गीकरण किया गया हो तो उसे भी ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ख) मु0 406.00 रुपये का भुगतान आवासीय परिसर के पानी के बिलों के रूप में किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आवासीय परिसर के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पानी के बिलों की भुगतान की गई राशि की संविदाकार से वसूली की जानी थी। अतः उपरोक्त राशि की संविदाकार से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे। इसके अतिरिक्त आवासीय परिसर के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य पानी के बिलों की भुगतान की गई राशि को भी अपने स्तर पर जाँच करके वसूली सुनिश्चित की जावे।

....

101 247

उप वा॰सं॰	भुगतान की तिथि	राशि रुपये
53	30-6-99	106.00
20	21-9-99	150.00
45	27-1-2000	150.00
	योग	406.00

15. वाउचर सं॰ 70 दिनांक 30-6-2000 रु 10,991.00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा सहायक अभियन्ता कुल्लू को अग्रिम भुगतान की गई राशि 10,000 रुपये का समायोजन किया गया था जिसकी जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई ।

(क) नियम विरुद्ध [illegible] रु 1080 रुपये का भुगतान सीमेन्ट की उतराई के [illegible] में किया गया था यह व्यय स्टाक स्टोरेज खाते को डेबिट किया गया था जबकि यह व्यय स्टॉक सस्पेन्स खाते को डेबिट किया जाना था । अतः उपरोक्त गलत वर्गीकरण में वांछित सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

उप वाउचर सं॰	राशि रुपये
5	360.00
6	360.00
7	360.00
योग :-	1080.00

(ख) उपरोक्त आधार से सम्बन्धित भुगतान की गई राशि को भुगतान [illegible] से 57 पर प्रविष्टी के सम्बन्ध में मापन पुस्तिका सं॰ 690 पृष्ठ 43 [illegible] की गई थी [illegible] भुगतान की प्रविष्टी को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता [illegible] नहीं किया गया था । सहायक [illegible] भुगतान हेतु [illegible] प्रमाणित न करने के कारण अभियन्ता से मापन पुस्तिका पर भुगतान [illegible] तथा उपरोक्त भुगतान [illegible] अनुपालना आगामी अंकेक्षण में [illegible] दिखाई जाये ।

.....